786/92

हिन्दू - मुस्लिम एकता का संदेश

लेखक

मो. मोहसिन रज़ा

मोबाइल-9458695931

पुस्तक का नाम : हिन्दू - मुस्लिम एकता का संदेश

लेखक : मोहम्मद मोहसिन रज़ा

भूल-सुधार : शैख रहमातुल्लाह (अध्यक्ष बुरूज इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल)

विद्वानों के विचार : डॉक्टर मोहम्मद फाज़िल रज़वी

(अध्यक्ष अल-क़ादिसा कॉलेज ऑफ इस्लामिक साइंस)

: मोहम्मद सुफ़यान सक़ाफी

(प्रधानाध्यापक अल-क़ादिसा कॉलेज ऑफ इस्लामिक साइंस)

: शैख़ रहमातुल्लाह

(अध्यक्ष बुरूज इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल)

: जयाश्री एस. सालियान

(प्रधानाध्यापक बुरूज इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल)

टाइपिंग : मोहम्मद मोहसिन रज़ा

प्रकाशक : अल-क़ादिसा कॉलेज ऑफ इस्लामिक साइंस

मूल्य : 40.00 रुपये

यहाँ उपलब्ध है

अल-क़ादिसा कॉलेज ऑफ इस्लामिक साइंस, कावलकट्टे, जिला दक्षिण कन्नड़ा।

बुरूज इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, रज़ा नगर, जिला दक्षिण कन्नड़ा।

मस्जिदे आज़म, फरारी ईर्वत्तूर पदाव, जिला दक्षिण कन्नड़ा।

विषय - सूची

मज़हब नही सिखाता आपस में बैर रखना।

हिन्दी हैं, हम वतन हैं, हिन्दोस्ताँ हमारा ॥

हिन्दू-मुस्लिम एकता पर शायरी

दुश्मनों को यह दौलत लूटने नहीं देंगे।
हिन्दू-मुस्लिम एकता को टूटने नहीं देंगे।।

वो खुदा की मस्जिद हो चाहे राम का मंदिर।
कोई भी इमारत हो टूटने नहीं देंगे।।

जब मोहब्बत लिखी हुई है गीता और कुरआन में।
फिर ये कैसा झगड़ा है हिन्दू और मुसलमान में।।

क्यों लड़ती है दुनिया आपस में, ये बात समझ न आती है।
मज़हब पे लड़ना तो न कुरआन और न गीता सिखाती है।।

तू अपने देश का न हो सका, किसका भला होगा।
न तेरी सरजमीं होगी, न तेरा आसमाँ होगा।

वतन की आबरू को कौड़ियों में बेचना वाले।
न तू राम का होगा, न तू अल्लाह का होगा।।

न हिन्दू को सुकूँ है, न मुसलमान चैन में है।
सियासत मजे में थी सियासत मजे में है।।

गुलाम थे तो हम सब हिंदुस्तानी थे।
आजादी ने हमें हिन्दू-मुसलमान बना दिया।।

सात संदूकों में भर कर दफन कर दो नफरतें।
आज इन्साँ को मोहब्बत की जरूरत है बहुत।।

मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफ़रत के लिए।
हम तो हर वक़्त मोहब्बत से भरे रहते हैं।।

प्रस्तावना

हमने इस पुस्तक में भारत की प्रसिद्ध गंगा-जमुना संस्कृति को प्रस्तुत किया है। और यह बताने का प्रयास किया है कि अच्छाई हमेशा अच्छाई रहती है उसका मूल स्वरूप-स्वभाव कभी विकृत नहीं हुआ करता। उस पर किसी एक व्यक्ति या धर्म-जाति का अधिकार भी नहीं हुआ करता। अपने मूल स्वरूप में धर्म भी एक अच्छाई का ही नाम है। धर्म, मज़हब, फिरका, संप्रदाय और पंथ आदि सभी भाववाचक संज्ञाएं एक ही पवित्र भाव और अर्थ को प्रकट करती हैं। सभी का व्यापक अर्थ उच्च मानवीय आदर्शों और आस्थाओं से अनुप्राणित होकर अपने ईश्वर को साक्षी मान कर सत्कर्म करना और समग्र रूप से अच्छा बनना है। ऐसे कर्म कि जिनके करने से सारी मानवता ही नहीं, प्राणी मात्र और जड़ पदार्थों का भी कल्याण हो सके। इस मूल विचार से हटकर संकीर्ण-संकुचित हो जाने वाला भाव धर्म-मज़हब आदि कुछ न होकर महज स्वार्थ एवं शैतान हुआ करता है। सभी धर्मों की बुनियादी अवधारणा शायद यही है। धर्म और मज़हब कच्चे धागे की डोर भी नहीं है कि जो किसी के स्पर्श मात्र से टूटकर बिखर जाये या किसी वस्तु का धुआं मात्र लगाने से ही अपवित्र होने की सनसनी पैदा कर दे। धर्म और मज़हब तो अपने आप में इतने पवित्र, महान और शक्तिशाली हुआ करते हैं कि उनका स्पर्श पाकर अपवित्र भी पवित्र बन जाया करता है।

कभी भी धर्म या मज़हब हमें अपने को उच्च या श्रेष्ठ समझने, दूसरों को नीच या हीन समझ कर उनके साथ भेद भाव करने की शिक्षा नही देता। सभी धर्म समानता के पक्षपाती हैं। सभी के सुख-दुख को समान समझ कर उनके दुखों को जितना संभव हो दूर करने की प्रेरणा देते हैं। मानवता, जातीयता और राष्ट्र्यता ही धर्म और मज़हब हुआ करती है। जो ऐसा नही समझते उन्हें किसी देश तो क्या इस धरती पर भी रहने का अधिकार नही है। बड़े खेद की बात है कि आज के समय में इन व्यापक और पवित्र भाववाचक संज्ञाओं की गलत-शलत व्याख्याएं करके कुछ लोग स्वंय तो नाहक परेशान होते ही रहते हैं दूसरों के लिये भी विनाश एवं परेशानियों की सामग्री जुटाते रहते हैं। ऐसे लोगों का प्रत्येक स्तर पर बहिष्कार और कठोर दमन परम आवश्यक है। उन्हें जड़ मूल से मिटा देना चाहिये।

हर समझदार व्यक्ति ने धर्म-मज़हब की वास्तविक मर्यादा को समझ-बूझकर प्रेम और भाईचारे का ही संदेश दिया है। भारत के स्वतंत्रता-संग्राम के दिनों में इस तथ्य को पहचान कर ही

स्वर्गीय कवि इकबाल ने अपनी काव्यमयी वाणी में यह उचित संदेश दिया था।

मज़हब नही सिखाता आपस में बैर रखना।

हिन्दी हैं, हम वतन हैं, हिन्दोस्ताँ हमारा ॥

आज भी इस सूक्ति को सत्य-संभावित मान कर इसके अनुसार आचरण करके ही देश-जाति में शांति-सुरक्षा स्थापित की जा सकती है।

इस पुस्तक में सबसे पहले हम धार्मिक आधार पर जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर मानवता और मानवजाति क्या होती है इस विषय पर भी बात करेंगे। विश्व का कोई भी धर्म मानवता से हट कर कोई दूसरी शिक्षा नही देता।

किसी के साथ भेद भाव और अत्याचार करने की अनुमति नही देता।

मैं केवल इतना कहुंगा हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिये भी अपने हृदय में कोई स्थान रखे ताकि भाईचारा बना रहे।

धर्म मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है ताकि लोग अपने धार्मिक नियमों का पालन करते हुये सब के साथ कांधे से कांधा मिलाए खड़े रहे।

धर्म एक पवित्र अवधारणा है। यह अत्यन्त सूक्ष्म, भावनात्मक कल्पना, विश्वास और श्रद्धा है। मूलत अध्यात्म के क्षेत्र में ईश्वर, पैगम्बर और अवतार आदि के प्रति मन की श्रद्धा या विश्वास पर आधारित धारणात्मक प्रक्रिया ही धर्म है।

कोई भी धर्म परस्पर बैर रखने को प्रोत्साहित नहीं करता, बल्कि आपसी मेल मिलाप और भाई-चारे का संदेश देता है। धर्म के नाम पर लड़ना केवल मूर्खता है।

अन्त में, मैं डॉक्टर मोहम्मद फाज़िल रज़वी, मोहम्मद सुफ़यान सकाफी, शैख रहमातुल्लाह, जयश्री एस. सालियान, मोहम्मद अताउल्लाह रज़वी, जी. एम. मोहम्मद शफीक़ सकाफी, अब्दुल रशीद सादी अफज़ली, मुबश्शिर मुईनी सकाफी, साजिद हिममी सकाफी, मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी, सय्यद मआरिफ रज़वी, मोहम्मद सिद्दीक़ सकाफी, ज़फर इक़बाल, शैख रहमातुल्लाह (सदर), मास्टर अब्दुल नज़ीर, शौकत अली और अन्य सभी मित्रों का हृदय से आभारी हूं, जिनकी कृपा और दया मेरे साथ है।

साथ ही मैं अपने पिता-हबीब अहमद, अपनी माता और भाई-बहन, परिवार वाले और सभी संबंधीयों के लिए भी हृदय से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

(मोहम्मद मोहसिन रज़ा)

इस्लाम और हिन्दू धर्म की कुछ समान बातें

(1)- ऐ नबी तुम कह दो वह अल्लाह है एक है। अल्लाह निर्पेक्ष है। न उसने किसी को जना है और न वह किसी से जन्मा है। और कोई उसका समकक्ष नहीं है।

(सूरह इख़लास, आयत-1-4)

एको देव: सर्वभूतेषु गूढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माद्य्यक्ष: सर्वभूताधिवास: साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ।। (श्वेताश्वतर उपनिषद्, अध्याय-6, श्लोक -11)

एक ही देव सभी पदार्थों में विराजमान है, और वह छिपा हुआ है, वह सर्वव्यापी और अन्तर्यामी है, सभी कर्मों का अध्यक्ष है, वही सब में वास करता है और सब का साक्षी है, वही सबकी चेतना है और वह निगुर्ण है।

यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढ: स मर्त्येषु सर्वपापै: प्रमुच्यते ।।

(श्रीमद्भगवद् गीता, अध्याय-10, श्लोक-3)

जो मुझको अजन्मा अर्थात् वास्तवमें जन्मरहित**, अनादि और लोकों का महान ईश्वर** तत्तव से जानता है वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरूष सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है।

अर्थात जिसने कभी जन्म नही लिया और न ही जिसका कोई प्रारम्भ है और अंत भी नही।

एकम् ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नेह-नये नास्ते, नास्ते किंचन। (वेदान्त का ब्रह्म सूत्र)

ईश्वर एक ही है, दूसरा नही है, नही है, नही है, जरा भी नही है।

(2)- और पूरब पश्चिम सब अल्लाह ही का है तो **तुम जिधर मुंह करो उधर ही अल्लाह की ज़ात है**। (सूरह अल-बक़रा, आयत-115)

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा **विश्वतोमुखम्** ।।

दूसरे साधक ज्ञानयज्ञके द्वारा एकीभावसे मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे कई साधक अपने को पृथक मानकर **चारों तरफ मुख वाले** विराट रूपकी अर्थात् संसार को मेरा विराट रूप मानकर मेरी अनेक प्रकारसे उपासना करते हैं।

(श्रीमद्भगवद् गीता, अध्याय-9, श्लोक-15)

(3)- (उस की कोई प्रतिमा नही है क्योंकि) उस जैसी कोई चीज़ नही।

(सूरह अल-शूरा, आयत-11)

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश:। हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हिंसीदित्येषा यस्मात्र जात इत्येष: ।। (यजुर्वेद संहिता, अध्याय-32, श्लोक-3)

जिस परमात्मा की महिमा का वर्णन हिरण्यगर्भ यस्मात्र जात तथा मा मा हिंसीत् आदि मंत्रों में किया गया है, जिसका नाम और यश अत्यन्त बड़ा है, **परन्तु उसका कोई प्रतिमान नहीं है**।

(4)- आँखें उसे नही देख सकतीं पर वह सब आँखों को देखता है।

(सूरह अल-अन्आम, आयत-103)

न सम्द्रस तिस्थति रूपम् अस्य। (श्वेताश्वतर उपनिषद्, अध्याय-4, श्लोक-20)

उसे कोई देख नहीं सकता।

(5)- अल्लाहु अकबर जो हर मुसलमान अज़ान और नमाज़ इबादत आदि में पढ़ता है उसका अर्थ है अल्लाह महान हैं। निसंदेह अल्लाह शक्तिशाली, प्रतिष्ठित है।

(सूरह अल-हज, आयत-40, 74, अल-हदीद, आयत-25, अल-मुजादला, आयत-21)

हम उस अल्लाह की महान्ता का गुणगान करते हैं जो सारे संसार का पालनहार है।

(सूरह अल-फातिहा, आयत-2)

बण्महाँ असि सर्य बडादित्य महाँ असि। महस्ते सतो महिमा पनस्यतेध्दा देव महाँ असि॥

(अथर्ववेद संहिता, काण्ड-20, सूक्त-58, श्लोक-3)

हे इन्द्रदेव यह सुनिश्चित सत्य है कि आप महान तेजस्वी हैं, **हे देव आप महान शक्तिशाली भी हैं, आपकी महान्ता का हम गुणगान करते हैं**।

(6)- कि अल्लाह के सिवा किसी की पूजा मत करो। (सूरह हूद, आयत-26)

और तुम्हारे रब ने यह आदेश दिया है कि उसके अन्य किसी को न पूजो।

(सूरह बनी इसराईल, आयत-23)

ऐ अल्लाह हम तुझी को पूजें और तुझी से सहायता चाहें। (सूरह फातिहा, आयत-5)

मा चिदन्यद्वि शंसत। (ऋग्वेद संहिता, अथाष्टमं मण्डलम्, सूक्त-1, मन्त्र-1)

प्रभु से भिन्न किसी अन्य का शंसन (प्रशंसा, पाठ, पूजा) मत करो।

(7)- (ऐ अल्लाह) हमको सन्मार्ग पर चला। (सूरह फातिहा, आयत-6)

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्य स्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम॥ (ऋग्वेद संहिता, प्रथमं मण्डलम्, सूक्त-189, मन्त्र-1)

दिव्य गुणों से युक्त हे अग्निदेव आप सम्पूर्ण मार्गों (ज्ञान) को जानते हुए **हम याजकों को यज्ञ फल प्राप्त करने के लिए सन्मार्ग पर ले चलें**, हमें कुटिल आचरण करने वाले शत्रुओं तथा पापों से मुक्त करें हम आपके लिए स्तोत्र एवं नमस्कारों का विधान करते हैं।

(8)- अल्लाह ही सत्य (हक़) है I (सूरह अल-हज, आयत-6, 62)

सत्यं ज्ञानमन्तं ब्रह्म। (तैत्तिरीय उपनिषद, ब्रह्मवल्लयध्याय-2, प्रथमोनुवाक-1, मन्त्र-1)

ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है।

(9)- मुसलमान का अर्थ है ईश्वर (खुदा) की आज्ञा को मानने वाला। उदाहरण यह कि खुदा पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, पैगम्बरों पर जो ईमान लाया वह मुसलमान है। मुसलमान का ठीक विलोम है काफिर। काफिर का अर्थ होता है खुदा तथा पैगम्बरों को अस्वीकार करने वाला। कुरान में है 'जो कुछ तुम कहते हो उसकी तरफ से उसको हम अस्वीकार करते हैं (उसके हम काफिर हैं) (सूरह सबा, आयत-34)

इसी प्रकार वेदों में है आस्तिक उसका अर्थ है ईश्वर की आज्ञा को मानने वाला, उसके उपदेशों को मानने वाला। आस्तिक का ठीक विलोम है नास्तिक। नास्तिक का अर्थ होता है ईश्वर के उपदेशों को अस्वीकार करने वाला। कोई मुसलमान काफिर से तर्क करना नहीं चाहेगा और न तो कोई आस्तिक किसी नास्तिक से बात करना चाहेगा।

(10)- इस्लाम में पैगम्बर और उनकी की शिक्षा को प्रमाण माना गया है। इसी प्रकार हिन्दू धर्म में अवतार और उसकी शिक्षा को प्रमाण माना गया है। हालांकि दोनों को मानने के सिध्दांत में थोड़ा अन्तर अवश्य है। लेकिन एक बात निश्चित है कि पैगम्बर और अवतार दोनों का अपनी धार्मिक परम्परा में स्थान बराबर है। और दोनों भी अधर्मता, पापों, अत्याचारों, घोर हिंसा आदि को समाप्त करने, ईश्वर के भक्तों की रक्षा करने, दुष्टों का संहार करने और ईश्वर की आज्ञा का पालन तथा धर्म के सिध्दांतों को नया रूप देकर उनका पालन करवाने के लिये पैगम्बर व अवतार जन्म लेते हैं।

इस्लाम में अन्य धर्म के लोगों के साथ व्यवहार

इस्लाम में गैर मुस्लिमों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करने का आदेश अल्लाह तआला और उसके पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने दिया है। कुरआन मजीद में अल्लाह तआला का आदेश है।

अल्लाह तुम्हें उनसे नहीं रोकता है जो तुमसे धर्म में न लड़े और तुम्हें तुम्हारे घरों से न निकाला कि उन पर उपकार करो और न्याय का व्यवहार करो निसंदेह कि अल्लाह तआला न्याय करने वालों से प्रेम करता है।

अल्लाह तुम्हें उन ही से रोकता है जो तुमसे धर्म में लड़े और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला या तुम्हारे निकालने पर सहायता की कि उनसे दोस्ती करो और जो उनसे दोस्ती करे तो वही अत्याचार करने वाले हैं। (सूरह अल-मुम्तहिना, आयत-8, 9)

इस आयत से यह बात प्रकट होती है कि जो अन्य धर्म के लोग मुसलमानों से उनके धर्म के कारण लड़ाई-दंगे नहीं करते मुसलमानो को उनके साथ अच्छे व्यवहार और पवित्र चरित्र से रहना, उन पर उपकार करना इस्लाम की शिक्षा और अल्लाह तआला एवं उसके रसूल की आज्ञा का पालन करना है। क्योंकि इस्लाम शांति का धर्म है। इस्लाम का अर्थ ही शांति है।

ध्यान रहे इस्लाम जिहाद की अनुमति भी उन्ही लोगों से देता है जो मुसलमानों के कट्टर शत्रु हैं और उनको अपनी मातृभूमि छोड़ने पर विवश करते हैं। अपने जीवन की सुरक्षा के लिये जिहाद की अनुमति इस्लाम ने दी है। या क्रूर शासकों और तानाशाहों के अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचारों से पीड़ित लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिये जिहाद की अनुमति इस्लाम ने दी है। जिहाद से इस्लाम का उद्देश्य अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का अंत करना है। यही आदेश अल्लाह तआला ने मुसलमानों को कुरआन में दिया है :

और उनसे युद्ध करो ताकि दंगा-फसाद और भ्रष्टाचार का अंत हो जाए।

(सूरह अल-बक़रा, आयत-193)

समझने के लिये उदाहरण : जिस प्रकार देश के सैनिक अपने देश और देश की जनता की सुरक्षा के हित में देश के दुश्मनों से लड़ते हैं उसे जिहाद कहते हैं। और सभी भारतीय नागरिकों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता के लिये अंग्रेजों से युद्ध किया उसे इस्लाम की परिभाषा में जिहाद कहते हैं। अपने जीवन, संपत्ति और धन की सुरक्षा के लिये या स्वतंत्रता के लिये दुश्मनों से लड़ना किसी धर्म और संविधान के विपरीत नहीं है। फिर न जाने क्यों कुछ लोगों

को जिहाद का नाम सुन कर उनके मुख के रंग मे परिवर्तन होने लगता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने विरोधियों से समझौते और मेल-मिलाप के लिए बार बार प्रयास किया, लेकिन जब सभी प्रयास बिल्कुल विफल हो गए और इस्लाम स्वीकार करने वाले पुरूषों और महिलाओं पर ढाए गए अत्याचारों का कोई अंत नहीं था। यदि उन अत्याचारों को देखकर कौन-सा दिल है जो रो न पड़े ? एक मासूम महिला हजरत सुमैया को बेरहमी के साथ बरछे मार-मार कर हत्या कर दी गई। हजरत यासिर की भी टांगों को दो ऊँटों से बांध दिया गया और फिर उन ऊँटों को विपरीत दिशा में हाँका गया और उनके चीर कर दो तुकड़े कर दिए गए। हजरत खब्बाब को दहकते हुए कोयलों पर लिटा कर निर्दयी क्रूर उनके सीने पर खड़ा हो गया, तकि वह हिल न सकें, यहाँ तक कि उनकी खाल जल गई और चर्बी पिघलकर निकल पड़ी। और उनका गोश्त नोच-नोचकर तथा उनके अंग काट-काटकर हत्या कर दी गई। इस प्रकार के दिल दहलाने वाली बहुत-सी घटनाओं का वर्णन किया जा सकता हैं। लेकिन बताने का उद्देश यह है कि हालात ऐसे पैदा हो गए कि केवल अपनी जान के बचाव के लिए लड़ाई के मैदान में आना पड़ा। जिसे प्रतिरक्षात्मक युद्ध कहा जा सकता है। यही कारण है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के समय में जितने युद्ध हुए वह सभी अपने बचाव और अपने जीवन की सुरक्षा के लिये थे। और सहाबा-ए-किराम के समय में जो भी युद्ध हुए वह या तो सुरक्षा के लिये थे या फिर क्रूर शासकों और तानाशाहों के अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचारों से पीड़ित लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिये थे।

फिर जिहाद के कुछ नियम भी हैं। उन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, अल्लाह तआला का आदेश है : अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो जैसा जिहाद करने का हक़ है। अर्थात् जिहाद की सीमा में रहकर और नियमों का पालन करते हुए।

युद्ध के समय भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि :

1- दुश्मनों के बच्चों को न मारना।

2- वरिष्ठ नागरिकों को न मारना।

3- महिलाओं को न मारना।

4- बीमारों (रोगीयों) को न मारना।

5- उनके धर्म गुरूओं को न मारना।

6- पशुओं को न मारना।

7- उनकी इबादतगाहों (पूजा स्थलों) को न तोड़ना।

8- मकानों को न गिराना।

9- हथियार फेंकने वालों को न मारना।

10- भागने वालों को न मारना।

11- उनकी लाशों (मृत शव) का अपमान न करना।

12- दुश्मनों को भी पानी (जल) लेने से मना न करना।

13- कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करना।

14- जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार न करवाना।

आज के समय में जो व्यक्ति जिहाद के नाम पर बेगुनाहों की हत्या करता है या बम धमाकों से लोगों का नुकसान करता है ऐसे व्यक्ति का इस्लाम से कोई संबन्ध नही है। क्योंकि इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कहा मुसलमान वह है जिस से पूरी मानवजाति सुरक्षित रहे। और कुरआन शरीफ में अल्लाह तआला का आदेश है : कि जिसने किसी बे-गुनाह की हत्या की या पृथ्वी पर कहीं दंगा किया तो उसने पूरी मानवता की हत्या कर दी, और जिसने किसी की जान को बचा लिया तो उसने पूरी मानवता को बचा लिया। (सूरह अल-मायदा, आयत-32)

जो व्यक्ति देश में दंगे करता फिरता है या आतंकी हमले करता है, उसकी सजा यह है कि उसका इंकॉन्टेर कर दिया जाए, या फांसी दे दी जाए, या उसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए, अथवा उसे देश से दूर (काले पानी या उमर कैद) कर दिया जाए।

(सूरह अल-मायदा, आयत-33)

जिहाद वास्तव में अरबी भाषा का शब्द है, जो “जहद” (جهد) से बना है और उसका अर्थ कोशिश करना, प्रयास करना है। तो जिहाद अमन, शांति और न्याय की स्थापना के लिए, और मानवाधिकारों की बहाली, हिंसा और अत्याचार का अंत करने के लिए अपनी शक्ति के योग पूर्ण प्रयास करने को जिहाद कहते हैं।

यही कारण है कि गैर-मुस्लिमों ने भी मुसलमानों के हित में विजय की प्रार्थना की है। जब मुसलमानों को सीरिया पर विजय प्राप्त हो गई तो उसके के थोड़े समय बाद रोमन साम्राज्य द्वारा युद्ध का खतरा हुआ तो सीरिया के गैर-मुस्लिमों ने मुसलमानों के हित में विजय की

प्रार्थना (दुआ) की थी कि मुसलमान इस देश पर शासन करें और हम रोमन साम्राज्य के अत्याचार, अन्याय और हिंसा से सुरक्षित रहें।

मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ कि वह इस्लाम क्या किसी को असुविधा देने की अनुमति देगा जिस में रास्ते (मार्ग) से असुविधा देने वाली वस्तु को हटा देने पर सवाब (अच्छे काम का फल) मिलता हो। धर्म के नाम पर दंगे फैलाना, अन्य धर्म के लोगों को अपने समाज या देश से बाहर जाने की बात करना और उनको अपनी मातृभूमि छोड़ने पर विवश करना बहुत ही व्यर्थ काम है। जिसकी अनुमति इस्लाम तो क्या विश्व का कोई भी धर्म नही देता है।

किसी भी धर्म को अपनाने में कोई विवशता नहीं है। (सूरह अल-बक़रा, आयत-256)

कोई किसी को एक धर्म छोड़ कर दूसरा धर्म अपनाने पर विवश (मजबूर) नहीं कर सकता। न ही इस्लाम अपने समर्थकों को यह अनुमति देता है कि वह किसी को इस्लाम अपनाने पर विवश करें। कुरआन शरीफ में दूसरे स्थान पर अल्लाह तआला का आदेश है :

क्या आप लोगों को इस्लाम अपनाने के लिये मजबूर करोगे ? अर्थात् ऐसा नही कर सकते। (सूरह यूनुस, आयत-99)

बल्कि धर्म में यह स्वतंत्रता और विकल्प रखा गया है कि जो चाहे इस्लाम अपनाए या जो चाहे अन्य धर्म को अपनाए उसे धार्मिक रूप से पूरी स्वतंत्रता है। (सूरह अल-कहफ, आयत-29)

क्योंकि अगर धर्म को अपनाने में कोई विवशता होती तो वह ईश्वर सबको एक ही धर्म में जनमाता।

सूरह अल-काफिरून में नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से यह कहा गया कि ऐ नबी तुम कहो कि ऐ अन्य धर्म के व्यक्तियो जिसकी तुम पूजा करते हो उसकी मैं पूजा नही करता और जिसकी मैं पूजा करता हूं उसकी तुम पूजा नही करते। इसी कथन को दोहरा कर कहा तुम अपने धर्म में और मैं अपने धर्म में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं। (सूरह अल-काफिरून)

तो साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि लव-जिहाद और घर वापसी का धर्म में कोई संकल्प नही
है। यह केवल आपस में लड़ाने और नफरतों की दीवारों को खड़ा करने वाले कार्ये हैं। इसका धर्म से कोई संबन्ध नही है।

इस्लाम में एक-दूसरे के भगवानों के बारे में अपशब्द, दुर्वचन, दूषित कथन और अश्लील बात करने से निषेध (मना) किया गया है। अल्लाह तआला का आदेश है : जो अल्लाह के

अलावा (भिन्न, अतिरिक्त) दूसरे भगवानों की पूजा करते हैं, उनके भगवानों के बारे में कोई अपशब्द न कहो। (सूरह अल-अन्आम, आयत-106)

इस्लाम का विरोध करने वाले यह बकवास करते हुए दिखाई देते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाने और प्रचार करने के लिये तलवार का सहारा लिया है। हालांकि ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट रूप से इस कथन को नकारते हैं। अगर आप इस्लाम के प्रारंभिक परिस्थितियों को देखें और नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के मक्का एवं मदीना के जीवन का न्याय के साथ अध्ययन करें तो आपको स्पष्ट रूप से यह अनुभूति हो जायेगी कि इस्लाम का प्रारंभ अशक्ति और दुर्बलता के समय में हुआ था। और यह कैसे संभव है कि एक अकेला व्यक्ति जिसने इस्लाम का प्रचार किया हो उसका समर्थन करने वाला भी कोई न हो बल्कि उसके अपने परिवार वाले भी उसकी जान के दुश्मन हों वह अकेला पूरे समाज और राष्ट्र के खिलाफ तलवार उठाए और उन्हें स्वयं को स्वीकार करने पर विवश कर दे।

हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का प्रचार किया तो मक्का के कुछ लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया। उनमें जनजातियों और निचले स्तर दोनों प्रकार के लोग थे। जबकि निचले स्तर के लोगों की संख्या अधिक थी और इसमें कोई संदेह नही हो सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम को वितरित करने के लिये बहुत धन भी नहीं था जो लोगों में दान करके उन्हे इस्लाम के पक्ष में कर लेते। यही कारण है कि इस्लाम संबंधित गरीब, कमजोर मुसलमानों को मक्का वालों के द्वारा अत्याचार और गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखा दिया था कि उन्होंने किसी लालच या भय के कारण नहीं, बल्कि इस्लाम को हृदय से स्वीकार किया है। इसलिए उनके विश्वास में कोई कमी नहीं आई। बल्कि उन्हें जितना अधिक तकलीफों से गुजरना पड़ा उतना ही उनके विश्वास और शक्ति में अधिक वृद्धि होती गई।

हमें इस अवधि में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती है कि किसी व्यक्ति ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के बाद इस धर्म से घृणा और अरूचि के कारण छोड़ दिया हो। और इसके विपरीत ऐसी बहुत सी घटनाओं का उल्लेख मिलता है कि जब मुसलमानों को इस्लाम के रास्ते में कड़ी सजा दी गई उन्हें आग में जलाया गया या तपती हुई गर्म रेत (बालू) पर नग्न शरीर के साथ घसीटा गया और भिन्न प्रकार से कष्ट पहुंचाया गया फिर भी उन्हें एक विशेष

प्रकार की आध्यात्मिक भावना, शीतलता और सद्भाव धारण हुआ। फिर जब मक्का वालों ने मुसलमानों को गंभीर रूप से पीड़ित किया और उनका मक्का में रहना असंभव हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कमजोर और पीड़ित मुसलमानों को हब्शा (Abyssinia) की ओर प्रवास (हिजरत) की अनुमति दी इसलिए मुसलमानों का एक समूह हब्शा चला गया। हब्शा को वर्तमान समय में इथियोपिया (Ethiopia) कहा जाता है। उसके बाद मक्का से मदीना में प्रवास (हिजरत) का आदेश हुआ और इसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के साथ आपके सब साथी भी शामिल थे, उन सभी को इस्लाम के लिए अपने घर, संपत्ति और वंशजों को छोड़ना पड़ा। मदीना में बसने के बाद मुसलमानों की जो स्थिति थी उसका इतिहास की पुस्तकों में उल्लेख मिलता है, उसको पढ़ने और जानने के बाद कोई बुद्धिमान और न्याय करने वाला व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि जितने लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया किसी दबाव, भय या लालच के कारण किया था। इस्लाम लोगों ने अपने मन और हृदय से स्वीकार किया था, इस्लाम उनके हृदय में ऐसा उतर चुका था कि वह किसी प्रकार भी इस्लाम को छोड़ने पर तैयार नही थे। तभी तो मुसलमानों ने मक्का में इतना अत्याचार सहा और उन्हे मक्का भी छोड़ना पड़ा फिर भी इस्लाम नहीं छोड़ा। फिर मदीना में प्रवास के दूसरे वर्ष में मुसलमानों को दुश्मनों के खिलाफ जिहाद (लड़ने) की अनुमति दी गई थी। लेकिन यह अनुमति इस लिए नहीं थी कि अन्य लोगों को विवश (जबरदस्ती) करके इस्लाम स्वीकार करवाया जाये। बल्कि यह अनुमति इस लिए दी गई कि अपनी जान की सुरक्षा की जाए और अपने धर्म का बचाव किया जाए तथा अधर्म, अन्याय, असुरक्षा को समाप्त किया जाए। और लड़ने की अनुमति भी उस समय दी जब सामंजस्य और समाधान का कोई रास्ता नहीं रहा, और यह आत्मविश्वास हो गया कि अब दुश्मन घृणा एवं विद्रोह में चरमपंथी हो कर मुसलमानों की हत्या करने पर तैयार हैं। इस लिए अपनी जान का बचाव करने के लिए जिहाद की अनुमति मिली। फिर जिहाद का आदेश देते समय मुसलमानों को यह भी सुझाव दिया कि उन लोगों से युद्ध न किया जाए जिन्होंने उन्हें धर्म के नाम पर परेशान नहीं किया और उनके कष्ट, पीड़ा पहुंचाने में दूसरों के साथ संबन्ध नहीं थे। बल्कि मुसलमानों से कहा गया कि ऐसे लोगों के साथ न्याय और अच्छा व्यवहार करो। गैर-मुस्लिमों के साथ पैगंबर और उनके सहाबा (साथियों) का व्यवहार किस प्रकार रहा उस सब का उल्लेख इस्लामी इतिहास में किया गया है। उसमें से कुछ का हम यहाँ वर्णन कर देते हैं।

नबी पाक सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंच कर शांति बनाए रखने के लिए सबसे पहले मुहाजिरीन व अन्सार के बीच भाई-चारा स्थापित किया फिर मदीना में बसने वाले यहूदियों से एक समझौता किया। यह समझौता वास्तव में पूर्ण सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, शांति, भाई-चारा, लोकतंत्र, जात-पात का अंत, आपसी विकास और समृद्धि की स्थापना थी। और इस मीसाके मदीना (समझौता) की स्थापना उस समय हुई जब मदीना में यहूदियों की दस जनजातियाँ (कबीले) एक लंबी खूनी लड़ाई से पीड़ित थीं। और मदीना में अधिकांश गैर-मुस्लिम आबादी थी। वह आपसी संघर्ष के कारण बिखर चुके थे और लोग शांति की मांग कर रहे थे। लेकिन शांति के रास्ते में आदिवासी और पाखंड, प्राचीन मार्क्सवाद और जनजातीय व्यवस्था एक बड़ी वाधा थी। यह पैगंबर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ही का ज्ञान था कि आपने इस व्यथित राष्ट्र के सामने पहली बार एक राष्ट्र की कल्पना की, नागरिकों के अधिकारों का संकेत दिया, उनकी प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखते हुए लोगों के सामने एक राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। बाहरी हमलों से निपटने और आपसी मतभेदों के निपटारे के आधार पर, धर्म और आंतरिक अखंडता की स्वतंत्रता के साथ, उन सभी जातियों को एकजुट किया। इसलिए सभी मुस्लिम और गैर-मुस्लिम जनजातियों के सदस्य हजरत अनस बिन मालिक के पिता मालिक बिन नदर के घर एकत्र हुए, और पैगंबर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के प्रस्ताव पर सभी जनजाति बाहरी आक्रामणों से रक्षा और आंतरिक मामलों की समस्याओं के समाधान के लिए एक छोटे से राज्य के गठन पर एकत्र हो गए। और इस आधुनिक राज्य के शासक के रूप में पैगंबर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर वह सभी सहमत हो गए। इस राज्य की नींव पूर्ण सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता और आपसी सहयोग पर आधारित थी। यह ऐसे मामले थे जिसके लाभ और उपयोगिता से गैर-मुस्लिम और यहूदी भी इनकार नही कर सकते थे। इसलिए पैगंबर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने राज्य और नागरिकों के अधिकार बनाए, समानता के सिद्धांत को कानून के रूप में स्थापित किया, प्रशासन, कानून और न्यायपालिका के नियमों की स्थापना की। इस प्रकार मानव समाज के निर्माण के लिए एक लिखित कानून और व्यवस्था बनाई जिसे पूरी दुनिया में “मीसाके मदीना” के रूप में जाना जाता है।

यह पत्र दुनिया के इतिहास का पहला लिखित कानून था, जो विभिन्न जनजातियों और विभिन्न धर्मों के बीच निर्धारित हुआ था। यह अनेकता में एकता का एक महान उदाहरण है।

और मानवता के सामने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का व्यावहारिक उदाहरण भी।
यह संविधान बहुत सी धाराओं पर वितरित किया गया है। उनमें कुछ धारायें मुसलमान, यहूदियों और मदीना के अन्य सदस्यों के आपसी संबंधों, अधिकारों और कर्तब्यों की व्याख्या करते हैं। उनमें से मुख्य यहां निम्नलिखित हैं :

1- यह अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की वाचा है जो कुरैश और मदीना के मुसलमानों और अन्य धर्म के लोगों के बीच पाई गई है। एक साथ रहने के लिए, इस संविधान का पालन करना हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है।
2- यह सभी लोग बाकी लोगों से अलग होकर एक राष्ट्र कहलायेंगे।
3- सभी मुसलमान और अन्य धर्म के लोग स्वयं को स्वयंसेवक समझेंगे।
4- इस्लाम के आधार पर मुसलमान आपस में शांति और एकता बनाए रखेंगे।
5- यदि उनके बीच कोई अंतर है तो वह अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के फैसले को मानेंगे।
6- मुसलमानों के अधिकारों और दायित्वों को समान रूप से बराबर माना जाएगा।
7- सभी के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य होगी।
8- मक्का के दुश्मनों को शरण नहीं दी जाएगी।
9- सभी को हर मामले में एक जनजाति का दर्जा दिया जाएगा।
10- सभी मामलों और उनके बीच के मतभेदों के लिए पैगंबर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का निर्णय मान्य होगा।
11- मदीना में रहने वाले यहूदियों और सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी।
12- जिस प्रकार मुसलमानों पर मदीना की रक्षा की जिम्मेदारी होगी, इसी प्रकार सभी धर्मों को लोग इसे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे।
13- विदेशी आक्रमण के समय, मदीना की रक्षा में भाग लेने के लिए मुसलमानों के साथ सभी धर्मों के लोग एक साथ एकजुट होंगे।
14- हर एक दोषी, अपराधी और हत्यारे को सजा मिलेगी।
15- मदीना का जो व्यक्ति गंभीर अपराध करेगा तो सजा उसी को मिलेगी, उसके परिवार वालों के लिए कोई सजा नही होगी।
16- किसी भी दोषी और अपराधी का समर्थन नही किया जायेगा।

17- पीड़ित चाहे किसी भी जाति का हो उसकी सहायता की जायेगी।

18- नागरिक और सांस्कृतिक मामलों में मुसलमान और सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिलेंगे।

19- सभी को नागरिकता के वही अधिकार मिलेंगे जो इस्लाम से पहले थे।

20- मुसलमान और सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ पीड़ा में शामिल होंगे, किसी के साथ लड़ाई और शांति के मामले में सब एक-दूसरे के साथ रहेंगे।

21- मुसलमानों पर आक्रमण हमले की स्थिति में अन्य धर्म के लोग मुसलमानों का समर्थन करेंगे, और अन्य धर्म के लोगों पर आक्रमण हमले की स्थिति में मुसलमान उनका समर्थन करेंगे।

22- कोई भी किसी के दुश्मन की सहायता नहीं करेगा।

23- उनके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

24- मदीना में एक-दूसरे के साथ लड़ना गैरकानूनी (हराम) है।

25- मुसलमान सभी लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे।

इस प्रकार पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र की सेना का नेतृत्व करते थे।

मदीना के मुसलमान, यहूदी और अन्य धर्मों के लोगों के बीच समझौता “मीसाके मदीना” भारतीय मुसलमान और गैर-मुस्लिमों को निमंत्रण और संदेश देता है कि किस प्रकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने विभिन्न विभाजनों, विभिन्न धार्मिक और अलग-अलग जनजातियों को मिलाकर एक राष्ट्र बनाया। और देशभक्ति के बीज बोये और एक समान आधार पर एकत्रित किया। राजनीतिक सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत, राजनीति में नैतिक तत्व शामिल किये, और अत्याचार, अन्याय, असमानता, घृणा, पाखंड और इस प्रकार की अन्य समस्यायों का अंत किया, कमजोरों, पीड़ितों और शोषितों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था। आंतरिक शांति और व्यवस्था स्थापित की। सुरक्षा और बचाव का प्रबंधन किया।

आज भारतीय नागरिकों को “मीसाके मदीना” को अपने ऊपर लागू करने की आवश्यकता है। ताकि मानवता सुरक्षित रहे और आपसी भाई-चारा बना रहे। वर्तमान समय में राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, मानवता लज्जित करने वाले, लोगों को अपने पाखंड से भ्रष्ट करने वाले

और मार्गदर्शन से हटाने वाले सांप्रदायिकता को जन्म दे रहे हैं और हिन्दू-मुस्लिम के नाम पर लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। यह एक वास्तविकता है कि राजनेता किसी का भला नहीं सोचता वह केवल अपना लाभ देखता है। क्या लोग नहीं देखते कि हमारे देश के सैनिक देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर खड़े अपनी जान दे रहे होते हैं और राजनेता उन पर दो आंसू बहाने की जगह उस पर भी राजनीतिक कर रहे होते हैं। आजादी के बाद से आज तक सत्ताधारी पार्टियों ने हिन्दू-मुस्लिम के नाम पर लोगों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आज लोग कुछ राजनेताओं के बहकावे में आकर अपने सदियों पुराने भाई-चारे को दफना रहे हैं। अगर मानवता (इंसानियत) को बचाना है, देश में शांति लाना है और इस देश को प्यार का चमन बनाना है तो सबसे पहले आप अपने धर्म की शिक्षा को अपनाएँ और उसके सिद्धांतों का पालन करें। लेकिन अन्य धर्म वालों के लिए भी अपने हृदय में कहीं न कहीं थोड़ी जगह रखें और उसका भी सम्मान करें। कोई भी धर्म किसी अन्य धर्म के व्यक्ति पर अत्याचार (जुल्म) की अनुमति नहीं देता है। और मेरा यह मानना है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। पैगंबर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने कट्टर शत्रुओं के साथ भी जिस प्रकार का क्षमादान और व्यवहार किया है उसे कभी भुलाया नही जा सकता। कौन सा ऐसा अत्याचार था जो मक्का में शत्रुओं (दुश्मनों) ने पैगंबरे इस्लाम पर न किया हो। दुश्मनों ने शारीरिक, मानसिक और हर प्रकार की तकलीफ दी, पत्थर मारकर घायल किया, रास्ते में काँटे बिछाए ताकि रात के अँधेरे में आपके पैरों में चुभ जायें, तीन वर्षों के लिए शाबे अबू-तालिब में सीमित (चारों ओर से घेर देना) रखा गया जिसमें आपने बबूल के पत्ते खाकर जीवन बिताया, यहां तक कि आपकी हत्या की योजना भी बनाई गई। लेकिन मक्का पर विजय प्राप्त होने के अवसर पर जब शत्रुओं को मौत अपने सामने दिखाई दे रही थी, उनको भी यह कल्पना थी कि आज उनके सब जुल्मों का बदला लिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उन्हें संबोधित किया और कहा :

ऐ ! मक्का वालो तम्हें क्या आशा है, में तुम्हारे साथ क्या करूँगा ?

उन्होनें कहा आप सम्माननीय, आदरणीय हैं, हम आपसे अच्छाई की ही आशा रखते हैं।

आपने कहा आज तुम पर कोई दोष नहीं है, तुम सब स्वतंत्र हो।

क्या मानव इतिहास में इस से बड़ा दया का कोई उदाहरण हो सकता है ?

इसी प्रकार नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों (क्रिश्चनों) के साथ भी पूर्ण सहिष्णुता बरती।

मक्का और यमन के बीच बसे "नजरान" के ईसाइयों का एक दल पैगंबर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास आया, आपने उन्हें अपना आतिथि बनाया और उनकी सेवा की। उन्हें अपनी मस्जिद में इबादत (पूजा) करने की भी अनुमति दी। जबकि आज के समय में खाली स्थान और उधान में भी इबादत (पूजा) करने से कुछ लोगों को कष्ट और आपत्ति है। नजरान के ईसाइयों के साथ बैठक हुई और एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसमें नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ईसाइयों को अलग-अलग अधिकार देने के लिए सहमत हुए। सहमति के कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं :

1- उनका जीवन सुरक्षित रहेगा।

2- जमीन, जायदाद और संपत्ति पर उन्ही का कब्जा रहेगा।

3- किसी भी धार्मिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा। इनके धार्मिक अधिकारी अपने पद पर बने रहेंगे।

4- उनकी किसी भी चीज पर कब्जा नही किया जायगा।

5- उनके देश में सेना नही भेजी जाएगी।

6- उनके मामलों और केसों में पूरा न्याय किया जाएगा।

7- उन पर किसी प्रकार का अत्याचार नही किया जाएगा।

8- उनसे किसी प्रकार का ब्याज (सूद) नही लिया जाएगा।

9- किसी अन्य व्यक्ति को अपराधी के बदले में नही पकड़ा जाएगा।

10- महिलाओं की पूरी सुरक्षा की जाएगी।

इस्लाम मानव जाति और मनुष्यों के लिए एक आशीर्वाद, दया, कृपा और वरदान के रूप में आया था। इसलिए उसने गैर-मुस्लिमों के साथ दया, कृपा, समानता, विनम्रता और साहिष्णुता का मामला किया है। और उनको मानव इतिहास में पहली बार सामाजिक और राष्ट्रीय अधिकार दिए, उस से पहले किसी धर्म और समाज ने दूसरे धर्म और समाज वालों को ऐसे अधिकार नही दिए। जो गैर-मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र में रहते हों इस्लाम उनके जीवन, धन, सम्मान, आदर और धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। इस्लामिक राष्ट्र में जो अधिकार मुसलमानों को मिले हैं, वही अधिकार गैर-मुस्लिमों को भी मिलेंगे। और

जो दायित्व मुसलमानों पर हैं वही गैर-मुस्लिमों पर भी, उनके जीवन, धन और संपत्ति मुसलमानों के जीवन, धन और संपत्ति के समान सुरक्षित हैं।
और इस्लामी दृष्टिकोण से वह अल्लाह और उसके रसूल की शरण में हैं। इसीलिए उन्हें "ज़िम्मी" (ऐसा व्यक्ति जो मुसलमानों की जिम्मेदारी में हो) कहा जाता है। इस्लामी कानून यह है कि जो गैर-मुस्लिम ज़िम्मी मुसलमानों की जिम्मेदारी में हो यदि उन के साथ कुछ गलत हो तो उसका बचाव मुसलमानों पर ऐसा ही अनिवार्य है जिस प्रकार मुसलमानों का बचाव अनिवार्य है। और उस पर किसी प्रकार अत्याचार करना मुसलमानों पर अत्याचार करने से भी बड़ा अपराध है।

इस्लामिक आदेश है कि जो मुसलमान किसी जिम्मी व्यक्ति को मार देगा वह स्वर्ग (जन्नत) की खुशबू से भी वंचित रहेगा, जबकि स्वर्ग की खुशबू चालीस वर्ष की दूरी तक पहुंचती है। (सहीह बुखारी, हदीस-3166)

पैगंबर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कहा : सुनो जो किसी जिम्मी पर अत्याचार करेगा, या उसके अधिकार को कम करेगा, या उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा से अधिक लेगा, या उसकी इच्छा के बिना किसी भी चीज को लेगा मैं निर्णय (कयामत) के दिन उस पर दावा करूँगा। (सुनन अबू-दाऊद, हदीस-3052)

नबी पाक सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अपने और पराए सभी के दुख-दर्द में शामिल होते थे। अगर कोई गैर-मुस्लिम भी बीमार होता तो उसकी अयादत (बीमार से उसका हाल पूछने) के लिए जाते, उसके लिए रोग से मुक्ति की प्रार्थना करते और सभी की सहायता करते थे, आप गैर-मुस्लिमों के साथ भी अच्छा व्यवहार और बर्ताव करते थे। यहाँ तक कि आपने अपने बहुत से जानी दुश्मनों को भी क्षमा कर दिया।

हजरत उसामा बिन ज़ैद ने वर्णन किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम एक सभा के पास से गुजरे जिस सभा में मुसलमान, मुशरिकीन, मूर्तीयों की पूजा करने वाले और यहूदी सभी शामिल थे तो आपने उन्हें सलाम (जीवित रहने की प्रार्थना की) किया। (सहीह बुखारी, हदीस-6254)

आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम गैर-मुस्लिमों को उपहार देते थे, और उनके उपहार को स्वीकार भी करते थे।

हजरत अली ने वर्णन किया है कि एक गैर-मुस्लिम किसरा ने आपके लिए उपहार भेजा तो

आपने उसको स्वीकार किया, इसी प्रकार और भी गैर-मुस्लिमों ने आपको उपहार भेजे तो आपने उनको भी स्वीकार किया। (जामे अल-तिर्मिज़ी, हदीस-1576)

इससे यह बात स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के गैर-मुस्लिमों के साथ भी संबंध कितने गहरे थे कि एक-दूसरे के लिए उपहार भेजा करते थे। गैर-मुस्लिमों को अपने यहाँ बुलाकर खाना खिलाना, और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का गैर-मुस्लिमों के यहाँ दावत में जाना, इसका उल्लेख भी बहुत-सी हदीसों में किया गया है। एक कबीले (जनजाति) के मेहमान का ऊँट दूसरे कबीले की चरागाह में गलती से चल जाने की छोटी सी घटना से उत्तेजित होकर जो अरब चालीस वर्ष तक ऐसे भयानक रूप से लड़ते रहे थे कि दोनों पक्षों के कोई सत्तर हजार व्यक्ति मारे गए और दोनों कबीलों के पूर्ण विनाश का भय पैदा हो गया था उस उग्र क्रोधातुर और लड़ाकू कौम (जाति) को इस्लाम के पैगंबर ने आत्मसंयम एवं अनुशासन की ऐसी शिक्षा दी कि वह एक ही सफ़ (कतार) में कांधे से कांधा मिलाकर नमाज़ अदा करते थे।

इस्लाम पहला ऐसा धर्म है जिसने लोकतंत्र की शिक्षा दी और उसे एक व्यावहारिक रूप दिया, यूं तो सभी बड़े धर्मों ने इस सिद्धांत का प्रचार किया है, लेकिन इस्लाम और पैगंबरे इस्लाम ने इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देकर प्रस्तुत किया है।

हम सब जानते हैं कि काले लोगों के साथ आज भी सफेद रंग वाले कैसा व्यवहार करते हैं ? फिर आप आज से चौदहवीं शताब्दी पूर्व पैगंबरे इस्लाम के समय के काले रंग के हजरत बिलाल के बारे में अनुमान लगाइये। इस्लाम के आरम्भिक काल में नमाज़ के लिए अज़ान देने की सेवा को अत्यन्त आदरणीय व सम्मानजनक पद समझा जाता था और यह आदर इस काले रंग के गुलाम को प्रदान किया गया था। मक्का पर विजय के बाद उनको आदेश दिया गया कि नमाज़ के लिए अज़ान दें और यह काले रंग और मोटे होंठों वाला गुलाम इस्लामी जगत् के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक भवन, काबा की छत पर अज़ान देने के लिए चढ़ गया। उस समय कुछ अभिमानी अरब चिल्ला उठे “आह ! बुरा हो इसका, यह काला हब्शी अज़ान के लिए पवित्र काबा की छत पर चढ़ गया है।” शायद यही नस्ली गर्व और पूर्वाग्रह था जिसके जवाब में आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने एक भाषण (खुत्बा) दिया। वास्तव में इन चीजों को जड़-बुनियाद से खत्म करना आपका लक्ष्य था। आपने अपने भाषण में फरमाया : सभी प्रशंसायें और कृतज्ञता (शुक्र) अल्लाह के लिए हैं, जिसने हमें अज्ञानकाल के अभिमान

और अन्य बुराइयों से छुटकारा दिया। ऐ लोगो ! याद रखो कि सारी मानव-जाति केवल दो श्रेणियों में बँटी है : एक धर्मनिष्ठ अल्लाह से डरने वाले लोग जो कि अल्लाह की दृष्टि में सम्मानित हैं। दूसरे उल्लंघनकारी, अत्याचारी, अपराधी और कठोर हृदय वाले लोग हैं जो खुदा की निगाह में गिरे हुए, तिरस्कृत और अपमानित हैं। अन्यथा अल्लाह तआला ने तुम सब को एक ही मर्द और औरत से पैदा किया है। फिर तुम्हें अलग-अलग समूहों (जमातों) और कबीलों में बाँट दिया ताकि तुम पहचाने जा सको। तुम में अधिक सम्मान वाला खुदा की नज़र में वही है जो खुदा से ज्यादा डरने वाला है। इसलिए न किसी अरबी को अजमी पर कोई प्राथमिकता हासिल है और न किसी अजमी को अरबी पर, न गोरा काले से श्रेष्ठ है और न काला गोरे से। हां महानता और श्रेष्ठता (फज़ीलत) का कोई पैमाना है तो वो देवभक्ति, धर्मनिष्ठा (तक़वा) और अच्छे गुण हैं। सभी इंसान आदम की औलाद (वंशज) हैं और आदम को अल्लाह तआला ने मिट्टी से बनाया। यही इंसान की वास्तविकता (हकीकत) है।

लोगो ! तुम्हारा रक्त, धन और मान सम्मान एक-दूसरे पर बिल्कुल अवैध (हराम) है सदा के लिए। अपनी महिलाओं के बारे में खुदा से डरो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उनकी देख-भाल और रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। और अपने दास (गुलामों) का खयाल रखो, उन्हें वही खिलाओ जो तुम खाते हो, वैसा ही पहनाओ जैसा तुम पहनते हो। और तुम सबको खुदा के सामने उपस्थित होना है वो तुम से तुम्हारे कर्मों के बारे में पूछताछ करेगा। देखो कहीं मेरे बाद पथभ्रष्ट (गुमराह) न हो जाना कि कहीं आपस में खून-खराबा करने लगो।

हज भी मानव-समानता का एक जीवंत प्रमाण है कि दुनिया हर वर्ष हज के अवसर पर रंग, नस्ल और जाति आदि के भेदभाव से मुक्त इस्लाम के चमत्कारपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय भव्य प्रदर्शन को देखती है। जहाँ भारतीय ही नहीं, बल्कि यूरोपवासी, अमेरिकी, अफ्रीकी, फारसी, चीनी आदि सभी मक्का में एक ही दिव्य परिवार के सदस्यों के रूप में एकत्र होते हैं, सभी की पोशाक एक जैसी होती है। हर व्यक्ति बिना सिली दो सफेद चादरों में होता है, एक कमर पर बंधी होती है तथा दूसरी कांधे पर पड़ी होती है। सबके सिर खुले होते हैं किसी दिखावे या बनावट का प्रदर्शन नही होता। लोगों की जुबान पर ये शब्द होते हैं “मैं हाजिर हूँ, ऐ खुदा मैं तेरी आज्ञा के पालन के लिए हाजिर हूँ, तू एक है तेरा कोई शरीक नहीं”

इस प्रकार कोई ऐसी चीज बाकी नहीं रहती, जिसके कारण किसी को बड़ा कहा जाये, किसी को छोटा। और हर हाजी इस्लाम के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का प्रभाव लिए घर वापस

लौटता है। इतना ही नही बल्कि इस्लाम की एक विशेषता यह भी है कि उसने स्त्री को पुरूष की दासता से स्वतंत्रता दिलाई है। और यह शिक्षा दी है कि स्त्री और पुरूष दोनों एक ही तत्व से पैदा हुए हैं, दोनो में एक ही आत्मा है और दोनों में इसकी समान रूप से क्षमता पाई जाती है कि वह मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से उन्नति कर सकें।

इस्लाम न्याय करने में किसी के समर्थन और पक्ष से आश्वस्त नहीं है, उसके यहाँ बिना किसी धार्मिक और नस्लवादी भेद-भाव के सभी मनुष्य एक समान हैं। उसने मुसलमानों को अत्याचार, हिंसा और अन्याय करने से रोका है, और प्रत्येक कार्य में न्याय, समानता, सुरक्षा और प्रत्येक स्तर पर शाँति बनाए रखने की शिक्षा दी है।

पैगंबर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम बहुत ही शाँत और कोमल हृदय वाले थे, कुरआन मजीद में अल्लाह तआला का आदेश है कि : अल्लाह तआला की दया से आप लोगों के लिए बहुत ही शाँत और कोमल हृदय वाले हो गए, यदि आप बुरे स्वभाव और कठोर हृदय वाले होते तो कोई व्यक्ति आपके पास नहीं आता। (सूरह आले-इमरान, आयत-159)
यह आपकी दया, कृपा, क्षमा, करुणा, सद्भाव, प्रेम, आशीर्वाद और कोमलता ही थी कि जिस व्यक्ति का संबंध आपसे जुड़ा वह सदा के लिए आप ही का हो गया, और आपके लिए अपना जीवन समर्पण करने के लिए तैयार हो गया।

हुस्ने यूसुफ पे कटीं मिस्र में अंगुश्ते ज़नाँ।
सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब ॥

यही शिक्षा लेकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम इस दुनिया में पधारे हैं, आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने शांति, प्रेम और मानव सम्मान के आधार पर एक ऐसे समाज की स्थापना की थी जिसमें भले ही कोई मुसलमान किसी गैर-मुस्लिम के साथ दुर्व्यवहार करता तो आप उत्पीड़ित गैर-मुस्लिम द्वारा अभिभावक बनकर उस मुसलमान के विरुद्ध निर्णय लते थे।

आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने तो मनुष्यों के साथ-साथ पशुओं (जानवरों) के साथ भी अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया है, इस्लाम की शिक्षा यहाँ तक शांति पर आधारित है कि जानवरों को कष्ट पहुंचाना भी उचित नहीं है। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का आदेश है कि बिना कारण पशुवध नहीं करना, और जब पशुवध (जानवर को ज़िबह) करने की आवश्यकता हो तो छुरी (चाकू) की धार को तेज़ कर लेना और तीन-चार नसों (रगों) से ज्यादा

न काटना ताकि पशु को अधिक कष्ट (तकलीफ) न हो।

ईश्वर ने सभी प्राणियों में मनुष्यों (इंसानों) को सबसे अधिक सम्माननीय बनाया है। हमने इंसानों (औलादे आदम) को सम्मानित किया है। (सूरह बनी-इसराईल, आयत-70)

हमने इंसान को सबसे अच्छे रूप में बनाया है। (सूरह अल-तीन, आयत-4)
जब ईश्वर ने इंसान को सबसे अधिक सम्मानित किया है तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दूसरे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिये और उसके जीवन का संरक्षण होना चाहिये इसलिए कि दुनिया में मानव जीवन का अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है।

इस्लाम में एक जान इतनी प्रिय और गर्वित है कि उसकी हत्या करना तो दूर की बात उसकी ओर हथियार को इंगित करना भी निषिद्ध है। इस्लाम मानवता का सम्मान करना सिखाता है और उसके आदेश मानव सम्मान के विषय में समान हैं, चाहे वह अपना हो या गैर, दोस्त हो या दुश्मन सभी शामिल हैं। प्रलय (कयामत) के दिन भी सबसे पहले किसी व्यक्ति की हत्या के बारे में ही निर्णय लिया जाएगा। (सुनन इब्ने माजा, हदीस-2615,2617)

फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इंसान को एक अच्छा पड़ोसी बनने की शिक्षा दी है और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार और उनकी खोज खबर लेने पर बड़ा जोर दिया है, और इस बात पर भी बल दिया है कि कोई मुसलमान अपने पड़ोसी को कष्ट और दुख पहुंचाना तो दूर की बात उसके कष्ट और दुख से बेखबर भी न रहे, परंतु हर हाल में उसकी सहायता की जाए। एक अवसर पर नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कहा : “वह मुसलमान नहीं जो स्वयं तो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूका रहे”

पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार का एक विशेष कारण यह भी है कि मनुष्य को हानि पहुंचने की आशंका भी उसी व्यक्ति से अधिक होती है जो निकट हो। इसलिए उसके संबंध को सुदृढ और अच्छा बनाना एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है ताकि पड़ोसी सुख और प्रसन्नता का साधन हो न कि दुख और कष्ट का कारण।

इस्लाम में पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार का विशेष रूप से आदेश दिया है, यह न केवल निकटतम् पड़ोसी के साथ, बल्कि दूर वाले पड़ोसी के साथ भी अच्छे व्यवहार का आदेश दिया है। “अच्छा व्यवहार करते रहो अपने माता-पिता के साथ, सगे संबंधियों, अनाथों, दीन-दुखियों के साथ और निकटतम् और दूर वाले पड़ोसी के साथ भी” (सूरह अल-निसा, आयत-36)

याद रहे पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करने में मुसलमान और गैर-मुस्लिम दोनों समान

हैं। चाहे पड़ोसी मुसलमान हो या गैर-मुस्लिम उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। इमाम कुर्तुबी इस आयत का विवरण करते हुए लिखते हैं : निकटतम् पड़ोसी का अर्थ मुसलमान हैं और दूर वाले पड़ोसी का अर्थ गैर-मुस्लिम हैं। पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करने में मुसलमान और गैर-मुस्लिम दोनों समान हैं। (तफ्सीर अल-कुर्तुबी, 5/183,184)

पड़ोसी का अर्थ सामान्य रूप से लोग निकटतम् पड़ोसी समझते हैं, लेकिन इस्लाम ने दूर वालों को भी पड़ोसी कहा, और पैगंबर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक इंसान के घर से चारों ओर 40-40 घर पड़ोसी हैं।

इस ईश्वरीय आदेश का महत्व पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने विभिन्न ढंग से बताया है और आपने स्वयं करके भी दिखाया है।

आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सौगंध खाकर कहा अल्लाह की क़सम, वह व्यक्ति मोमिन नही जिसका पड़ोसी उसके कष्ट से सुरक्षित न हो।

जो अल्लाह और प्रलय पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि वह अपने पड़ोसियों की रक्षा करे और ईश्वर के निकट मित्रों में वह व्यक्ति अच्छा है जो अपने मित्रों के लिए अच्छा हो, और पड़ोसियों में वह व्यक्ति अच्छा है जो अपने पड़ोसियों के लिए अच्छा हो।

वह व्यक्ति नरक (जहन्नम) में जाएगा जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी असुरक्षित हो। पैगंबर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया : जिसका अल्लाह और उसके रसूल से प्रेम का दावा हो, तो उसको चाहिए कि वह अपने पड़ोसी से प्रेम करे और उसके अधिकारों को पूरा करे। जो अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता उसका अल्लाह और उसके रसूल से प्रेम का दावा भी झूठा है।

पड़ोसी के कुछ अधिकार यह भी हैं कि जब वह मौजूद न हो तो उसके घर की रक्षा करो और उसकी मौजूदगी में उसका सम्मान करो। हर प्रकार से उसकी सहायता करो, उसके राज़ जानने का प्रयास न करो, उसकी बुराई न ढूंढो। अगर बिना इरादे के उसकी किसी बुराई के बारे में पता चल जाए तो उसे छिपाओ। ईश्वरकृपा, वरदान, सुविधा और सुख-साधन देखो तो ईर्ष्या न करो। उसकी गलतियों को अनदेखा कर दो, उसके साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करो, उसे गाली (दुर्वचन) न दो और उसके साथ बहुत सम्मान व प्यार के साथ रहो।

इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें इंसानों के बीच आपसी संबंध का बहुत महत्व है और इस पर विशेष रूप से बल दिया गया है। इसलिए इंसानों के आपस में एक-दूसरे के प्रति अधिकार व

कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं।

समस्त इंसानों के एक-दूसरे के प्रति जो अधिकार हैं उनको इस्लाम की कानून व्यवस्था में निर्धारित किया गया है। इस्लाम की कानूनी व्यवस्था और उसके जो अधिकार हैं वे केवल व्यक्ति या सामाज तक सीमित नहीं हैं। बल्कि यह इससे कहीं अधिक व्यापक हैं जिनमें समस्त प्राणियों के अधिकारों को ध्यान में रखा गया है। वर्तमान समय के मानवाधिकारों की तुलना में इस्लामी मानवाधिकार बहुत व्यापक और विस्तृत हैं। मानवाधिकारों का अर्थ वास्तव में लोगों के मूलभूत अधिकारों का सम्मान करना है। मानव समाज विविध सांस्कृतिक विचारधाराओं से संपन्न है। इसी प्रकार मानव समाज विभिन्न धर्मों, नैतिक सिद्धांतों व कानूनों के माध्यम से संचालित होता है। इसलिए इस्लाम में मानवाधिकार और उसके अनुच्छेद को इस तरह परिभाषित किया गया है कि सभी समाज व राष्ट्र उसे स्वीकार कर सकें। इस्लाम के यह ईश्वरीय मानवाधिकारों में लोगों के मौलिक अधिकारों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। इनमें मनुष्य के लोक-परलोक दोनों को ही दृष्टिगत रखा गया है। दूसरी ओर इस्लाम की कानून व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मानव समाज का विकास है। ताकि मनुष्य को ऐसा जीवन उपलब्ध करवाया जाए जिसमें उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। इस्लामी मानवाधिकारों की एक अन्य विशेषता यह भी है कि उसके व्यवहारिक होने को सुनिश्चित बनाया गया है। बाकी कुछ धर्म ऐसे भी हैं जिनकी व्यवस्थाओं के बहुत से नियम केवल किताबों तक ही सीमित हैं और उनके लागू करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

और इस्लाम के नियमों को लागू करने के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं होती। इसका कारण यह है कि इस्लाम का मानने वाला ईश्वर को सर्वव्यापी (हाज़िर व नाज़िर) जानता है। पवित्र कुरआन में अल्लाह तआला कहता है : क्या इंसान नहीं जानता कि अल्लाह तआला देख रहा है। (सूरह अल-अलक़, आयत-14)

इस आयत से यह पता चलता है कि ईश्वर हर व्यक्ति को देख रहा है और कोई भी उसकी नज़रों से छिपा हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि ईश्वर ने कानून का उल्लंघन करने वालें को कड़े दण्ड की बात कही है। जो भी ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करेगा उसे अवश्य दण्ड दिया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता।

इस्लामी शिक्षाओं में यह भी बताया गया है कि जो चीज़ (वस्तु) अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। यदि तुम अपने लिए अच्छाई पसंद करते हो तो दूसरों के

लिए भी अच्छाई ही चाहो। अगर तुमको स्वयं पर अत्याचार पसंद नहीं है तो दूसरों के लिए भी अत्याचार को पसंद न करो। इस्लाम का यह ऐसा मापदण्ड है जिसे हर स्तर पर पसंद किया जाता है। पवित्र कुरआन मनुष्य से कहता है कि तुम सदैव दूसरों के साथ भलाई करो और दूसरों के लिए हमेसा अच्छा सोचो।

कुरआन में यह भी कहा गया है कि इंसान को खुदा की इबादत (वंदना) के लिए पैदा किया गया है, लेकिन खुदा की इबादत केवल पूजा-पाठ आदि तक सीमित नहीं, बल्कि हर वह कार्य जो अल्लाह के आदेशानुसार उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने तथा मानव जाति की भलाई के लिए किया जाए इबादत के अन्तर्गत आता है।

आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का फरमान है : जिसने दुनिया में किसी के संकट को दूर कर दिया तो उसके बदले अल्लाह तआला प्रलय (क़यामत) के दिन के संकट को उससे दूर कर देगा। और अल्लाह तआला उस व्यक्ति की सहायता में लगा रहता है जो व्यक्ति दूसरों की सहायता में लगा रहता है। (सहीह मुस्लिम, हदीस-2699)

जो व्यक्ति लोगों पर दया नहीं करता अल्लाह तआला भी उस पर दया नहीं करता। (सहीह बुखारी, हदीस-7376 / सहीह मुस्लिम, हदीस-2319)
और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया : तुम में सबसे अच्छा व्यक्ति वह है जो दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाए।

हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को अल्लाह तआला ने यह आदेश दिया कि “यदि मूर्तिपूजकों में से कोई शरण मांग कर आपके पास आना चाहे तो उसे शरण दे दो, यहाँ तक कि वह अल्लाह की वाणी सुन ले फिर उसे उसके सुरक्षित स्थान तक पहंचा दो। यह इसलिए करना चाहिए कि उन लोगों को ज्ञान नहीं” (सूरह अल-तौबा, आयत-6)

यदि कोई मूर्तिपूजक भी अल्लाह के पैगंबर से शरण मांगे तो उसे शरण मिल जाती है, इससे बढ़कर इस्लाम धर्म की उदारता का और क्या प्रमाण हो सकता है।

पुण्य यह है कि धन से प्रेम होने के बावजूद दान करे, रिश्तेदारों पर, अनाथों पर, गरीब निर्धन पर, यात्रीयों पर, भिखारीयों पर और गुलामों को आज़ाद कराने के लिए भी। (सूरह अल-बकरा, आयत-177)

पुण्य और ईशभक्ति के कामों में एक-दूसरे का सहयोग करो और बुराई एवं अत्याचार के कामों में सहयोग न करो, अल्लाह से डरो, उसका दण्ड बड़ा कठोर है। (सूरह अल-माइदा, आयत-2)

ऐ लोगो ! ईश्वर से डरो जिसने तुमको एक जीव से पैदा किया और उसी जीव से उसका जोड़ा बनाया। उन दोनों से बहुत से पुरूष और स्त्री संसार में फैला दिये। (सूरह अल-निसा, आयत-1) अर्थात् इस्लाम लोगों के बीच विश्व बन्धुत्व का विचार पेश करता है। इंसानों को याद दिलाता है कि मानवता का आरंभ एक पुरूष और एक स्त्री से हुआ है। आज दुनिया में जितने भी इंसान पाये जाते हैं वे सब एक माता-पिता की संतान हैं। इन सबका सृष्टा, विधाता एक ही है। सबके सब एक ही तत्व से बने हैं। अत: ऊँच-नीच, छूत-छात एक निराधार चीज़ है।

ऐ ईमान वालो ! अल्लाह के लिए न्याय पर दृढ़ रहने वाले बनो, न्याय की गवाही देते हुए और ऐसा कदापि न हो कि किसी समूह की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर उत्तेजित कर दे कि तुम न्याय करना छोड़ दो। न्याय करो यही धर्मनिष्ठा के अनुकूल बात है। (सूरह अल-माइदा, आयत-8) इस्लाम केवल उस न्याय की बात नहीं करता जो न्यायालय में मिलता है, बल्कि वह हर जगह, हर व्यक्ति के लिए न्याय का प्रबन्ध करता है। राजनीतिक, आर्थिक, परिवारिक और हर स्थान पर न्याय स्थापित करता है। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। धरती पर फसाद न फैलाओ, फसाद फैलाने वालों को अल्लाह पसन्द नही करता। (सूरह अल-क़सस, आयत-77)

तुम बुराई का जवाब भलाई से दो फिर देखोगे कि तुम्हारे और जिसके बीच बैर था वह ऐसा हो जाएगा मानो वह कोई प्रिय मित्र हो। (सूरह हामीम अल-सज्दा, आयत-34)

एक बार का वाक्या है कि इमाम हुसैन रजि अल्लाहु अन्हु के पुत्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन लोगों में भोजन (खाना) बाँट रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा आपने मुझे पहचाना नहीं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उससे कहा : मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ कि जब हम कर्बला में थे तू ने हमें पत्थर मारा था। उस व्यक्ति की आँखों में आँसू आ गए और भर्राई हुई आवाज़ मे कहा : आप फिर भी मुझे खाना दे रहे हैं। आपने कहा : उस समय हम तेरे दर पे आये थे और वो तेरा व्यवहार था, अब तू हमारे दर पे आया है और यह आले मोहम्मद (हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की संतान) का व्यवहार है।

इस्लाम धर्म हमेशा हर एक कोर्य में मानवता की सीमा में रहने का आदेश देता है। और किसी भी कार्य में सीमा से आगे बढ़ जाने या पीछे रह जाने को पसंद नहीं करता है और वह उसे अज्ञानता का परिणाम मानता है। इस्लाम धर्म के हर आदेश और शिक्षा की बुनियाद शांति, प्रेम, साहिष्णुता, नम्रता, अच्छे स्वभाव, दया, क्षमा आदि पर रखी हुयी है।

हज़रत उमर और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के शासन काल का एक वाक्या :

जब सीरिया पर हज़रत उमर रज़ि अल्लाहु अन्हु ने विजय प्राप्त की तो वहां के निवासियों ने आपको आमंत्रित किया। सवारी के लिए ऊँट कम थे और सवार अधिक। तो फिर यह निर्णय लिया गया कि दो लोग बारी-बारी सवार हों। हज़रत उमर के साथ उनका एक नौकर हिस्से में आया, कभी हज़रत उमर ऊँट पर सवार होते तो उनका नौकर ऊँट की नकेल पकड़ कर चलता और कभी उनका नौकर ऊँट पर सवार हो जाता तो हज़रत उमर ऊँट की नकेल पकड़ कर चलते। जब सीरिया में प्रवेश किया तो ऊँट पर सवार होने की बारी उनके नौकर की थी, उस नौकर ने बार-बार हज़रत उमर से प्रार्थना की कि आप ऊँट पर सवार हो जायें मैं नकेल पकड़कर चलूंगा। परन्तु हज़रत उमर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऊँट पर सवार होने की बारी तुम्हारी है, तुम ऊँट पर सवार हो जाओ मैं नकेल पकड़कर चलूंगा। दुनिया भर में इस प्रकार के जनसेवा का उदाहरण नहीं मिलता। इसीलिए तो राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने 1937 में जब पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीयों का मंत्रीमंडल स्थापित हुआ, तो कहा कि हमारे मंत्रियों को हज़रत उमर का अनुसरण करना चाहिए और वैसा ही सादा जीवन व्यतीत करते हुए जनसेवा में लगे रहना चाहिए। एक बार एक नौकर ने आपको कुछ खाने को दिया, बाद में पता चला के वह शुद्ध कमाई का न था तो आपने गले में उँगली डालकर उल्टी कर दी और कहा जो शरीर हराम खाने से पलता है नरक उसका उचित स्थान है। आज के समय में ढूँडने से भी ऐसा कोई मंत्री नहीं मिलेगा जिसका गुजारा हराम खाकर न चलता हो। मंत्रियों द्वारा करोड़ों के घुटाले करना आम बात है।

हज़रत अम्र बिन आस मिस्र (Egypt) के गवर्नर थे, एक बार घोड़ों की दौड़ का मुकाबला हुआ। मुकाबले में हज़रत अम्र बिन आस का बेटा भी शामिल हुआ। दौड़ शुरू हुई सभी के घोड़े तेज रफ्तार से दौड़ने वाले थे वैसे भी अरबी नस्ल के घोड़े उस ज़माने के मशहूर घोड़े थे। लेकिन एक यहूदी लड़के का घोड़ा सबसे ज्यादा तेज रफ्तार था और उसने दौड़ में बाज़ी मार ली। वह दौड़ जीत गया हज़रत अम्र बिन आस के बेटे ने इसी खुन्नस (मन में बैर) में उस यहूदी लड़के की पिटाई कर डाली। यहूदी लड़के ने हज़रत उमर रज़ि अल्लाहु अन्हु को पत्र लिखा कि मेरे साथ ऐसी समस्या घटी है और मेरे साथ हज़रत अम्र बिन आस के बेटे ने मार पीट की है। हज़रत उमर ने तुरंत हज़रत अम्र बिन आस को एक पत्र लिखा कि बिना देर किये मदीना आ जाइए और हां अपने लड़के को और उस यहूदी लड़के को भी जिसने दौड़ में जीत प्राप्त की थी

अवश्य साथ लेकर आना। मदीने में जब सभी लोग आ गये तो हज़रत उमर रज़ि अल्लाहु अन्हु ने हज़रत अम्र बिन आस को सारा मामला बताया। अम्र बिन आस ने अपने बेटे से पूछा कि क्या तुमने इस यहूदी लड़के को सिर्फ इसलिए मारा कि उसका घोड़ा तुम्हारे घोड़े से आगे निकल गया और वह जीत गया, तुम हार गये ? लड़के ने कहा हां मैंने मारा था। इतना सुनते ही अम्र बिन आस गुस्से से आग बबूला हो गए और अपना कोड़ा निकाल लिया। हज़रत उमर रज़ि अल्लाहु अन्हु ने कहा कि अम्र रहने दीजिए अगर आपके कोड़े में न्याय करने की ताकत होती तो तुमको यहाँ बुलाने की आवश्यकता न पड़ती। तो अब कोड़ा हमारा होगा, लड़का तुम्हारा होगा और यहूदी लड़के के हाथ से मार होगी। ऐसा ही न्याय हुआ भी, उस यहूदी लड़के ने सबके सामने गवर्नर के लड़के को कोड़े मारे। ऐसा था न्याय हज़रत उमर का इसलिए महात्मा गाँधी ने कहा था कि अगर भारत में अमन, शाँति और न्याय चाहिए तो उमर जैसी हुकूमत करने वाला होना चाहिए।

हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के साम्राज्य (दौरे खिलाफत) में उनके पास ज़कात (दान पुण्य) का बहुत धन आता है, तब उन्होंने आदेश दिया कि गरीबों में बांट दो, बताया गया इस्लामी साम्राज्य में कोई गरीब न रहा, आदेश दिया इस्लामी सेना तैयार करो, बताया गया इस्लामी सेना पूरी दुनिया में घूम रही है, आदेश दिया नौ-जवानों का विवाह (शादी) कर दो, बताया गया विवाह के इच्छुक नौ-जवानों का विवाह कर देने के बाद भी धन बच गया है, आदेश दिया यदि किसी के ऊपर कर्ज है तो उसका भुगतान कर दो, कर्ज का भुगतान कर देने के बाद भी धन बच जाता है, फिर आदेश दिया कि देखो गैर-मुस्लिमों में से किसी पर कर्ज है तो उसका भी भुगतान कर दो, यह काम भी कर दिया गया फिर भी धन बच गया, आदेश दिया कि शिक्षा पर धन खर्च कर दिया जाए, उसके बाद भी कुछ धन बच गया फिर उन्होंने आदेश दिया कि इसके गेहूं खरीद कर पहाड़ों के ऊपर डाल दो ताकि इस्लामी साम्राज्य में कोई पक्षी भी भूका न रहे।

तुर्की में आज भी सैकड़ों वर्ष पुरानी यह रिवायत जिंदा है, जब भी सर्दी का मौसम आता है और पहाड़ों पर बर्फ पड़ जाए तो यहाँ के लोग पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ कर गेहूं के दाने डालते और फैलाते हैं, और तब तक करते हैं जब तक बर्फबारी होती रहती है, ऐसा इसलिए करते हैं कि पक्षी इस मौसम में भूके न मर जायें।

हजरत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का यह कथन (क़ौल) इतिहास के पन्नों में आज भी मौजूद है :

“जा कर पहाड़ों की चोटियों पर दाना फैला दो , कहीं मुसलमानों के देश में कोई पक्षी भूका न मर जाए” ।

जबके आज के समय की सरकारें गरीबों का रक्त चूस कर अपना बजट जमा करने में लगी हुई हैं, सरकारी खजाने भरे हुए हैं और इधर गरीब और किसान अत्म हत्या कर रहे है, मगर सरकार को किसी की चिंता (परवा) नही है। इधर भूक से परेशान लोग भूक हड़ताल पर बैठे होते हैं और उधर अपने कार्यालयों में करोड़ों, अरबों रूपये खर्च हो रहे होते हैं। इधर अस्पतालों में बीमार (मरीज) दम तोड़ रहे होते हैं और उधर सरकारें जश्न मना रही होती हैं, और उसे सरकारों द्वारा देश की प्रगति (तरक्की) का नाम दिया जाता है।

मुसलमानों की देश भक्ति

यह एक तथ्य है कि मनुष्य को हमेशा दुनिया में रहने और जीवन बिताने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फिर मनुष्य को यह भोजन धर्ती से प्राप्त होता है और यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्य इस धर्ती की मिट्टी से ही पैदा हुआ है। अल्लाह तआला ने खुलासा किया है : हमने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से। (सूरह अल-हज, आयत-5)
हमने इसी धर्ती से तुम्हें पैदा किया, और इसी में तुम्हें फिर लौटायेंगे, और इसी से तुम्हे दोबारा निकालेंगे। (सूरह ताहा, आयत-55)

और वास्तव में हमने आपको पृथ्वी में निवासस्थान दिया, और आपके लिए जीवन के प्रावधानों को बनाया और तुम्हारे अनुकूल परिस्थितियाँ। (सूरह अल-आराफ, आयत-10)
जिस मिट्टी से मनुष्य बना है और जिसमें अपना जीवन बिता रहा है, स्वाभाविक रूप से उसकी भक्ति, और उससे प्रेम हो ही जाता है, इस्लाम में प्रसिद्ध वाक्यांश है “हुब्बुल वतनि मिनल ईमान” देश का प्रेम ईमान की आवश्यकता है।

जब पैगंबर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम मक्का से प्रवास (हिजरत) करके जाने लगे तो कहा: ऐ मक्का ! तू खुदा का शहर है, तू मुझे बहुत प्यारा है, अगर लोग मुझे छोड़ने पर विवश (मजबूर) नहीं करते तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता।
और जब पैगंबर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मदीना को अपनी मातृभूमि बना लिया तो प्रार्थना करते कि ऐ अल्लाह ! हमारे दिलों में मदीने का उतना ही प्रेम रख दे, जितना तू ने मक्के का प्रेम रखा, बल्कि मदीने का प्रेम मक्का से बढ़ा दे।

इन आयात और हदीस से देशभक्ति और प्रेम स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इसलिए अपने देश से प्रेम और भक्ति मानव स्वभाव भी है और धार्मिक अनुरोध भी।

इस्लामिक पुस्तकों से हमें पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस सलाम को जब पृथ्वी पर उतारा गया तो उन्हें भारत की भूमि पर उतारा गया और यहीं उन्होंने अपना जीवन बिताया, और यहीं से उनकी संतान का प्रसार हुआ, इसी लिए मनुष्य को आदमी कहा जाता है। भारत नबुव्वत और मानवता का पहला सिंहासन भी है। और अल्लाह तआला ने हजरत आदम अलैहिस सलाम का खमीर (Yeast) भी यहीं की मिट्टी से तैयार किया, इसलिए भारत को यह गौरव प्राप्त है कि सबसे पहले पैगंबर का खमीर यहाँ की मिट्टी से बनाया गया, और सभी मनुष्य हजरत आदम अलैहिस सलाम के वंशज हैं, इसलिए सभी मनुष्यों की आध्यात्मिक और भौतिक उत्पत्ति की मात्रा भारत से ही हुई। प्रजनन और संतान के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि सभी पैगंबर, औलिया, धर्मात्मा, साधु संत, विद्वान आदि का पहला तत्व भारत की मिट्टी से ही उत्पन्न हुआ।

1- हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने वर्णन किया है कि अल्लाह तआला ने आत्माओं से वचन लिया था कि “अलस्तु बि रब्बिकुम” (क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ) यह वचन (मीसाक) भी भारत में हुआ था। (तफ्सीर अल-तबरी -9/111)
2- हजरत आदम अलैहिस सलाम स्वर्ग (जन्नत) से भारत ही में उतरे।
3- हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का नूर भी पेशानी (माथा) -ए-आदम के साथ सबसे पहले इसी भूमि पर उतरा।
4- भारत की भूमि सबसे पहले नूरे मोहम्मदी से उज्ज्वल हुई।
5- इसी भूमि पर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस सलाम खुदा के सामने रोये, तीन वर्ष तक रोते रहे।
6- इसी भूमि पर सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का वसीला दिया।
7- इसी भूमि पर हजरत आदम अलैहिस सलाम ने दुआएँ मांगीं।
8- इसी भूमि पर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस सलाम की तौबा कुबूल हुई।
9- इसी भूमि पर सबसे पहले हजरत जिबराईल अलैहिस सलाम उतरे, और उन्होंने सबसे पहले इसी भूमि पर अज़ान दी।

10- हजरत आदम अलैहिस सलाम की तौबा कुबूल होने के बाद उन्होंने शुकराने की नमाज भी सबसे पहले इसी भूमि पर पढ़ी।

11- हजरे असवद (काला पत्थर) जो अब खाना-ए-काबा में लगा हुआ है, और वह असा (लाठी) जो बाद में हजरत मूसा अलैहिस सलाम को मिला जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस सलाम भारत की भूमि पर ही लेकर उतरे थे।

12- हजरत आदम अलैहिस सलाम ने चालीस हज और एक हजार उमरे यहीं से पैदल चल कर अदा किए।

13- स्वर्गीय (जन्नती) पेड़-पौधे, फल, अनाज, सुगंध और सोना चाँदी आदि पदार्थ भी इसी भूमि पर उतरे। और इसी भूमि पर फसल, फूल, वृक्ष और खेतियां सबसे पहले लहलहाईं।

हजरत अली रजी अल्लाहु तआला अन्हु का कहना है कि भारत की भूमि इस लिए बहुत अच्छी, हरी-भरी और ऊद आदि की सुगंध इसलिए है कि जब हजरत आदम अलैहिस सलाम इस धर्ती पर आए तो उनके शरीर पर जन्नती पेड़ के पत्ते थे, वे पत्तियाँ उड़ कर जिन वृक्षों पर पहुंचीं वह सदा के लिए सुगंधित हो गये। (तफ्सीरे नईमी -1/259,260)

हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने भारतीय जड़ी-बूटी ऊद हिंदी के उपयोग पर जोर दिया था, जो सात रोगों के चिकित्सा के काम आता है।
(सहीह बुखारी, हदीस-5692,5713,5715,5718)

आज भी दवाओं में उपयोग होने वाली अधिकांश जड़ी-बूटियाँ और सुगंध भारत में पैदा होती हैं। हजरत अली रजी अल्लाहु तआला अन्हु के अनुसार सारी दुनिया की तुलना में सबसे अधिक सुगंध भारत में पैदा होती है, इसलिए कि स्वर्ग से आदम अलैहिस सलाम यहीं प्रकट हुए थे, तो वहाँ के पेड़ों में स्वर्ग की सुगंध सम्मिलित कर दी गई थी।
(अल-मुस्तदरक, हदीस-3995. तफसीर अल-दुर्रुल मन्सूर -1/296)

यहाँ की हवाओं में भी स्वर्ग की सुगंध शामिल है, और यहाँ की भूमि से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने वफा और भक्ति की सुगंध महसूस की है, और भारत की ओर देख कर पैगंबर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम प्रसन्न हुए हैं। इस्लाम के सबसे पहले पैगंबर और दुनिया के सबसे पहले मनुष्य जिस भूमि पर स्वर्ग से तशरीफ (पधारे) लाए हों और अल्लाह तआला ने पेशानी-ए-आदम में नूरे मोहम्मदी रख कर जहाँ उतारा हो, और जो भूमि

नूरे मोहम्मदी से सबसे पहले प्रकाशित हुई हो वह भूमि निश्चित रूप से सारे जहाँ से अच्छी है, इसी लिए कवि इकबाल ने कहा था :

सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा।

हम बुलबुलें है इसकी, यह गुलसिताँ हमारा॥

तो हमें यह पता चलता है कि भारत के साथ मुसलमानों का संबंध सहाबा किराम, मोहम्मद बिन कासिम के काल या मुगल साम्राज्य के समय से नहीं, बल्कि जब से दुनिया आबाद है मुसलमानों का संबंध और रिश्ता भी उतना ही पुराना है। और इस्लाम की नींव के अधिकांश वाकये भारत की भूमि से जुड़े हुए हैं।

मुसलमानों का संबंध इस देश से पहले ही से इतना मजबूत है कि उन्हें अपनी देशभक्ति और देश हित में प्रेम को सिद्ध करने और प्रमाण पत्र बनवाने और दिखाने की भी कोई आवश्यकता नही है। मुसलमानों के लिए इतना ही काफी है अपनी देशभक्ति और प्रेम को सिद्ध करने के लिए। अगर कोई मुसलमान इस देश से गद्दारी करेगा तो वह केवल देश की नजर में ही दोषी और अपराधी नही, बल्कि वह इस्लाम की नजर में भी उतना ही बड़ा दोषी और अपराधी होगा, और ऐसे अधर्मी का इस्लाम में भी कोई स्थान नहीं है। कि जो व्यक्ति अपने देश का न हो सके उसे इस्लाम कैसे स्वीकार कर सकता है ?

मैं तो यह कहता हूं कि जिस देश की भूमि से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने भक्ति की सुगंध महसूस की हो वहाँ का मुसलमान अपना देश से गद्दारी कैसे कर सकता है ?

यही कारण है कि हमारे श्रेष्ठ विद्वानों, इस्लाम के प्रचारकों और सामान्य मुसलमानों ने हमेशा देश में प्रेम, धैर्य, संप्रदाय एकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह चाहे ख्वाजा गरीब नवाज़ हों या बाबा फरीद, चाहे बुख्तियार काकी हों या निज़ामुद्दीन औलिया, चाहे सलीम चिश्ती हों या वारिसे पाक सभी सूफी संत (औलिया-ए-किराम) ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और आपसी भाई-चारे को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और एक अहम भूमिका निभाई है।

हिन्दू धर्म में लोगों के साथ व्यवहार

हिंदू धर्म दुनिया का एक प्राचीन धर्म माना जाता है। कुछ लोग इसे मूर्तिपूजकों, प्रकृति पूजकों या हजारों देवी-देवताओं के पूजकों का धर्म मानकर या जातिवाद को लेकर इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन यह उनकी अपनी सोच या नफरत का परिणाम है। उन्होंने कभी वेदों, उपनिषदों या गीता का अध्ययन नहीं किया। और उन्होंने कभी हिंदू धर्म की विशेषताओं पर सोच-विचार नहीं किया।

हिंदू धर्म में मोक्ष पर बहुत बल दिया गया है। मोक्ष या मुक्ति का उल्लेख वेदों, पुराणों में हुआ है। इस्लाम में इसे मग़फिरत और ईसाई धर्म में इसे सेल्वेशन (Salvation) कहा जाता है। हिंदू ऋषियों ने मोक्ष प्राप्त करने का पूरा विज्ञान विकसित किया है। आम तौर पर लोग यह समझते हैं कि मरकर मुक्ति मिल जाती है। मरकर इस जन्म के कष्टों से मुक्ति मिल जाती होगी, लेकिन मोक्ष नहीं। प्रभु की कृपा से भी कष्ट दूर हो सकते हैं दूसरा जीवन मिल सकता है। पर मोक्ष नहीं। मोक्ष के लिए व्यक्ति को खुद ही प्रयास करने होते हैं, प्रभु उन प्रयासों में सहयोग कर सकते हैं। मोक्ष वास्तव में स्वयं से मुक्ति है। जिस ने भी मोक्ष के महत्व को समझा वह सही मार्ग पर है। मोक्ष व्यक्ति को कैसे मिलता है हिंदू धर्म (सनातन धर्म) में इसके सैकड़ों मार्ग बताए गए हैं। लेकिन हम यहाँ भगवद् गीता से कुछ आचरणों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं जिनको मोक्ष प्राप्त करने का साधन बताया गया है। हिंदू धर्म में मोक्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है।

कर्मों में कुशलता लाना सहज योग है। अपने व्यवहार में अच्छे गुण पैदा करना, अपने चरित्र को सुधारना। भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद् भगवद् गीता के (अध्याय-16, श्लोक-1 to 4, अध्याय-10, श्लोक-4,5 और अध्याय-13 के श्लोक-7,8) में उन सभी आचरणों का वर्णन किया है जिसका पालन करके कोई भी मनुष्य जीवन में पूर्ण सुख और जीवन के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन आचरणों में से जिनका संबंध मनुष्य के व्यवहार से है हम यहाँ उनका वर्णन व्याख्या के साथ कर रहे हैं :

(अहिंसा) किसी प्राणी को तन, मन, वचन और कार्यों से कष्ट न पहुंचाना। किसी जीव को पीड़ा न देना। बस इतना समझ लो कि जिस बात या कार्य से हमें दु:ख होता है वह बात या कार्य हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। अहिंसा पालने के लिए हमें बहुत ही सावधानी

बरतनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने मन में एक मज़बूत भाव रखें कि मुझे किसी की हिंसा नहीं करनी है। फिर यह निश्चित विचार रखें कि हर जीव-जन्तु में भगवान रहते हैं। यदि हम किसी जीव-जन्तु को दु:ख पहुँचाएंगे तो भगवान को दु:ख होगा। अहिंसा की साधना से बैर भाव निकल जाता है। बैर भाव के जाने से मन में शांति और आनंद का अनुभव होता है। सभी को मित्र समझने की दृष्टि बढ़ती है। सही और गलत में भेद करने की शक्ति आती है। इस प्रकार से माहौल भी खुशनुमा होने लगता है। इसी से आपके रिश्ते-नाते कायम रहते हैं।

जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर की नजर में अहिंसा परम धर्म है। वे अहिंसा को धर्म की आँख से नहीं बल्कि धर्म को अहिंसा की आँख से देखते हैं। अहिंसा पर जितना जोर महावीर ने दिया है उतना शायद ही किसी अन्य महापुरूष ने दिया हो। जैन दर्शन ने अहिंसा को बहुत ही बारीकी से समझाया है। तन, मन, वचन, कार्य, भाव, विचार, कर्म, सोच, कर्तव्य आदि से गलत या बुरा करना हिंसा है। लड़ाई-झगड़े के बारे में सोचना और किसी को मारने का विचार भी मन में आया तो वह हिंसा ही है।

महात्मा गांधी भी शरीर के दुबले-पतले लेकिन आत्मा के महान, शरीर पर कपड़े के नाम पर एक धोती लेकिन दिल के धनी, और अहिंसा के पुजारी थे। उनके इस सादा व्यक्तित्व को देखकर कोई भी नहीं सोच सकता था कि वह अपने विचारों से भारत में इतनी बड़ी क्रांति ला देंगे। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए खून की एक बूंद गिराए बिना ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दीं। गांधी जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह सिद्धांत रूप में जो भी कहते, उसे अमल में लाते थे। लोगों का कोई सहयोग नहीं भी मिलता फिर भी वह अपने मार्ग से नहीं डगमगाते। निसंदेह आज गांधी जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन में खास महत्व रखती हैं। मानवता के इतिहास में बापू का नाम सदैव अमर रहेगा।

किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, सबके प्रति मित्रभाव रखते हुए विचरे तथा यह मनुष्य-जन्म पाकर किसी के साथ वैर न करे॥ (महाभारत, शांतिपर्व, अध्याय-329, श्लोक-18)

(सत्य) सच, वास्तविकता, जैसा हो वैसा ही बताना। किसी भी बात को वैसा ही बताना जैसे वह वास्तव में हुई हो सत्य कहलाता है। उस बात में कोई भी शब्द ऐसा न कहा जाए जो आपके मन की उपज हो, तो वह पूर्ण सत्य कहलाता है। सत्य बोलना बहुत अच्छी बात है। यह एक साधारण सा ज्ञान है जिसे किसी को सिखाया नहीं जाता है, बल्कि यह खुद मनुष्य के द्वारा महसूस किया जाता है। सत्य बोलकर हम किसी का भी विश्वास जीत सकते हैं। कहते हैं

न असत्य पर सत्य की जीत, सत्य चाहे कितना कड़वा या मीठा क्यों न हो किंतु जीत सत्य की ही होती है। सत्य बोलने से आत्मविश्वास जागृत होता है। हां अगर आपका सत्य किसी बे-गुनाह की जान ले ले या किसी की जान को खतरे में डाल दे तो वह असत्य (झूट) के समान हो जाता है। और अगर आपका एक झूट किसी की जान बचा ले या किसी के भले के लिए कहा गया हो, जिसमें आपका स्वयं का कोई स्वार्थ न हो तो वह सत्य के समान हो जाता है। इसी प्रकार किसी की गुप्त बात को प्रकाशित कर उसे अपमानित कर देना सत्य आचरण नहीं है। किसी में सुधार की भावना से बिना उसे अपमानित किये उसकी गलती की ओर इंगित करना सत्य आचरण है।

भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवानगरी में लिखा रहता है "सत्यमेव जयते" अर्थात सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते (मुण्डक-उपनिषद, तृतीयमुण्डके, प्रथम खण्ड, मंत्र-6) से लिया गया है। आपको सत्य की विजय के लिए कर्म भी करना होंगे, सत्य को दुनिया के सामने लाना भी होगा और असत्य से मुकाबला भी करना होगा। वरना लोगों की मक्कारी और चाल में फंस कर यह सत्य कभी हार भी जाता है।

सत्य से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, परन्तु सत्य से भी श्रेष्ठ है हितकारक वचन बोलना, जिससे प्राणियों का अत्यन्त हित होता हो, वही मेरे विचार से सत्य है।। (महाभारत, शांतिपर्व, अध्याय-329, श्लोक-12,13)

सत्य वचन बोलना और प्रिय मीठा बोलना चाहिए, जो प्रिय न लगे ऐसा सत्य भी न कहना चाहिए और प्रिय लगने वाली झूटी बात भी न कहनी। यह सनातन धर्म है।
(मनुस्मृति, अध्याय-4, श्लोक-138)

(शांति) मन की प्रसन्नता। मन की स्थिर अवस्था। शांति मधुरता और भाई-चारे की अवस्था है। शांति के बिना जीवन व्यतीत करना बहुत ही कठिन है। जहाँ शांति होती है वहाँ सुख होता है अर्थात सुख का शांति से गहरा नाता है। आज हम शांति प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के सुख-सुविधा देने वाले उपकरण खरीदते हैं, अपना सारा जीवन इसी में व्यतीत कर देते हैं फिर भी शांति को हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाते, इसका कारण क्या है ? याद रहे ! धन-दौलत से संसाधन खरीदे जा सकते हैं परन्तु शांति नहीं। हम यही सोचते रह जाते हैं कि यह खरीद लूँगा तो शांति मिल जाएगी। आवश्यकताओं को पूरा करते-करते पूरा समय निकल जाता है न तो शांति मिलती है और न खुशी।

शांति कहाँ मिलती है ?

एक वाक्या के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक बार एक बुढ़िया की सुई खो गयी और वह आँगन में तलाश ने लगी तो एक भाई ने पूँछा माताजी आप क्या खोज रही हो ? तो माताजी ने कहा मेरी सुई गुम हो गयी है मैं उसे ढूँढ रही हूँ तो वह भाई भी उसकी सहायता में जुट गया, ऐसा करते-करते कई लोग बूढ़ी माता की सहायता में जुड़ गए लेकिन सुई किसी को न मिली, इतने में एक भाई ने कहा माताजी एक बात बताओ कि आपकी सुई कहाँ गुम हुई थी ? तब माता ने कहा घर के अंदर, तो उस भाई ने कहा, अगर सुई गुम हुई घर के अंदर और ढूँढ रही हो बाहर तो सुई आपको कैसे मिलेगी ? ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर की शांति गुम हुई है और हम उसे बाहर तलाश रहे हैं, शांति तो हमारे अंदर ही समाई हुई है। शांति हमारा स्वधर्म है, शांति आत्मा का मूल गुण है। सबसे पहले हमें अपने अंदर शांति स्थापित करना होगी। शांति हमारे भीतर ही है, इसके बिना कहीं और न तलाशें यानि हम अपने मन से क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं को त्याग दें और प्रेम एवं करुणा जैसी सकारात्मक भावनाएँ पैदा करें। हमारे अंदर अगर शांति होगी तो हम दूसरों को भी शांति प्रदान कर सकेंगे। शांति प्रदान करने के लिए हमें यह समझना होगा कि पूरा विश्व एक परिवार है क्योंकि हम सबको बनाने वाला एक है और उसने एक ही मनुष्य से सारी मानवता बनाई है। ईश्वर अपने सभी प्राणियों से प्रेम करता है इसलिए हमें भी उसके सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए।

(सेवा) दूसरों को ईश्वर का अंश मानते हुए उनकी भलाई के लिए कार्य करना। दूसरों की सेवा करने का जज्बा हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। अपने आसपास चारों तरफ नजर दौड़ाइए, कोई बीमार, बूढ़ा या लाचार इंसान दिखाई पड़े तो उसके कष्ट के बारे में पूछिए। और उसके कष्ट को दूर करने में सहायता कीजिए। कोई भूख से तड़प रहा हो तो उसे उपदेश देने की बजाय पेट भर भोजन करा दीजिए। कोई भीख मांग रहा हो तो उसे रोजगार का अवसर दीजिए। कोई बुखार से तप रहा हो तो उसे बुखार उतारने की एक गोली दिला दीजिए। सेवा करने के लिए आपको बड़े-बड़े अस्पताल खोलने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो लोगों की छोटी-छोटी तकलीफों को दूर करने की लेकिन आज और अभी। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हम सेवा के बारे में सोचते ही रह जाते हैं और सेवा नहीं कर पाते।

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक डॉक्टर होकर गरीबों के लिए एक अस्पताल खोलना चाहते हैं। पैसे एकत्र करके एक अस्पताल खोल देते हैं बाद में अपने मरीजों से खूब मोटी फीस

वसूलते हैं। सभी व्यक्ति फीस या मोटी फीस देने में असमर्थ होते हैं तो क्या इस समय एक व्यक्ति को कम पैसों में या बिना पैसे सेवा देना जरूरी नहीं ? ताकि उसकी भी जान बच जाए। एक तरफ शोषण दूसरी तरफ भलाई। एक तरफ भ्रष्टाचार की कमाई दूसरी तरफ मंदिर-मस्जिदों तथा अनाथ आश्रमों का निर्माण यह दोहरे मानदण्ड, वास्तव में स्वयं को धोका देना है। अपने पेशे के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी भी सेवा है। सेवा करना अच्छी बात है जो दूसरो की सेवा करता है उसे अत्यंत संतुष्टि और आनंद प्राप्त होता है। सेवा के लिए स्वयं को हर समय हर स्थान पर प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए।

सेवा में सबसे पहला अधिकार माता-पिता का है। माता-पिता की सेवा हमें अवश्य करना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने माता-पिता की सेवा नहीं करेंगे तो फिर किसकी सेवा करेंगे ? हमारी आने वाली पीड़ी कैसे सीखेगी ? बच्चे सब देखा करते हैं, वह देखेंगे कि हमारे पिता ने कभी अपने बाप की सेवा नहीं की तो हम क्यों करें ? फिर हमारी पीड़ी में संस्कार कहाँ से आयेंगे। माता-पिता की सेवा करने से ईश्वर का आशीर्वाद और कृपा हमारे साथ होती है।

(दान) देने की क्रिया, गरीबों की धन द्वारा सहायता करना। हर मनुष्य को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए, और दान उसे ही देना चाहिए जिसे उसकी आवश्यकता हो। जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दान एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा हम न केवल धर्म का ठीक-ठाक पालन कर पाते हैं बल्कि अपने जीवन की सभी समस्याओं से भी निकल पाते हैं।

आज कल के लोगों में खुदगर्जी की भावना बहुत खुलकर दिखाई देती है। लोग स्वार्थी, लालची और मतलबी हो गए हैं। वह दूसरों की नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं। लोग हर बात में पूछते हैं "इससे मुझे क्या मिलेगा ?" या "इससे मुझे क्या फायदा होगा ?" याद रहे ! लेने से देना धन्य है।

(तप) तपस्या, पीड़ा सहना, संयम रखना। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जो कर्म हम करते हैं, शरीर व मन की कठिनाइयों की चिंता किये बिना जुटे रहते हैं वही तप है। महर्षि दयानंद के अनुसार "जिस प्रकार सोने को अग्नि में डालकर इसके मैल को दूर किया जाता है, उसी प्रकार सद् गुणों और उत्तम आचरणों से अपने हृदय, मन, और आत्मा के मैल को दूर किया जाना तप है।" भगवद् गीता में तप तीन प्रकार के बताए गए हैं शारीरिक- जो शरीर से किया जाए, वाचिक- वाणी (बात) से किया जाए और मानसिक- जो मन से किया जाए। यानि

किसी को मन, वाणी और शरीर से हानि न पहुँचाना। मनु कहते हैं कि तप से मन का मैल दूर होता है और पाप का नाश होता है। उत्तम तप वह है जो श्रद्धापूर्वक फल की चिंता किये बिना किया जाए।

(शम) मन का वश में होना। मन, बुद्धि की शांति का नाम शम है। मन बड़ा चंचल होता है वह बिना किसी कारण के भी अशांत बना रहता है। मन को वश में करना बहुत ही कठिन होता है कई बार लोग पूँछते भी हैं कि मन को कैसे वश में किया जाए ? क्या करें कि मन हमारे काबू में रहे ? यूँ कह लीजिए कि बेलगाम घोड़े पर लगाम कैसे लगाएँ ? तो आइए जानते हैं कि मन को अपने काबू में कैसे रखा जा सकता है ?

सबसे पहला काम जो आपको करना है वह है "अपने मन को समझाना" मन जिस भी कार्य के लिए जिद करे अगर उसकी आवश्यकता न हो तो उसको समझाएं और उस कार्य को न करने दें। दूसरा काम यह है कि मन की दिशा ही बदल दो। जो मन विकारों की ओर जा रहा है, उसे सदविचारों की ओर मोड़ दो। यह दिशा-परिवर्तन करना भी मन पर विजय पाना है। तीसरा काम यह है कि आप पवित्र वातावरण में रहें। क्योंकि मन उसी का पवित्र रह सकता है जो पवित्र वातावरण में रहता है। पवित्र वातावरण और सत्संगत से मन वश में हो सकता है। जो व्यक्ति ऐसे लोगों की संगति में रहता है जो श्रेष्ठ, उत्तम और जिनका चरित्र या व्यवहार अच्छा है तो वह भी अविश्वसनीय बन जाता है।

गीता में मन को वश में करने का उपाय इस प्रकार है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मन की स्थिति बतलाते हुए कहता है - हे श्री कृष्ण ! यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भाँति अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ। अर्थात् मन को वश में करना और तूफानी हवा को रोकना बराबर है, यानि मन को वश में करना बहुत कठिन है। (श्रीमद् भगवद् गीता, अध्याय-6, श्लोक-34)

इसपर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं - हे महाबाहो ! नि:संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परन्तु हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। (श्रीमद् भगवद् गीता, अध्याय-6, श्लोक-35)

मन की चंचलता को मिटाकर उसे शांत बनाने के लिए वैराग्य को जरूरी बताया गया है।

(वैराग्य) संसार की उन वस्तुओं एवं कर्मों से लगाव न रखना जिसमें सामान्य लोग लगे रहते हैं। कुछ लोग वैराग्य का अर्थ यह लेते हैं कि घर-बार छोड़कर उदास होकर गंगा किनारे बैठ

जाना। कुछ लोगों का कहना है कि घर-बार, समाज, सोसायटी सब कुछ छोड़कर जंगलों में या शहर से दूर चले जाना। जो घर में रहता है उसके बारे में कहते हैं कि यह राग वाला है, संसारी है, गृहस्थी है। याद रहे ! घर-बार छोड़कर हरिद्वार जाकर गंगा किनारे बैठ जाने का नाम वैराग्य नहीं है। बल्कि संसार को असार जानना, देह को मिट्टी समझना वैराग्य है। उसके लिए यह जरूरी नहीं कि तुम शहर में रहो या गाँव में रहो या हिमालय की किसी गुफा में रहो। अगर आपको यह बात समझ लग गई कि तुम्हारा यह शरीर एक दिन मिट्टी हो जाएगा और जिस संसार को तुम देख रहे हो यह सदा नहीं रहेगा, इस बात का निश्चय हो जाए यही वैराग्य है।

(दम) इन्द्रियों का वश में होना। मन की चंचलता दूर करके शांति प्राप्त करना शम है। और इन्द्रियों को वश में करना दम है। पर इन्द्रियों को निमंत्रण में रखने का काम मन ही करता है। क्योंकि इन्द्रियाँ अपने विषयों की ओर स्वयं प्रेरित न होकर मन के द्वारा ही प्रेरित की जाती हैं। मन जब शांत होता है तो वह इन्द्रियों को बुरे कर्मों की तरफ प्रेरित नहीं होने देता। इन्द्रियों का काबू में हो जाना ही दम है।

इन्द्रियों को परमात्मा ने इसलिए हमें प्रदान किया है ताकि इनकी सहायता से आत्मा की आवश्यकता पूरी हो और सुख मिले। सभी इन्द्रियाँ बड़ी उपयोगी हैं, सभी का कार्य जीव को उन्नति एवं आनंद प्रदान करना है। किसी भी इन्द्रिय का उपयोग पाप नहीं है, जबकि उनका उपयोग सीमा में हो और जिस कार्य के लिए परमात्मा ने प्रदान किया है उसी कार्य में उसका उपयोग हो। यूँ समझो इन्द्रियाँ रथ में जुड़े हुए घोड़ों की तरह हैं, यदि घोड़ों पर नियन्त्रण न रखा जाए, उनकी लगाम छोड़ दी जाए, उन्हें चाहे जिस दिशा में, जिस गति से चलने दिया जाए तो अपने लिए संकट पैदा करना है। इसलिए बुद्धिमान सारथी सदा सजग रहता है, हर घोड़े की गतिविधि पर ध्यान रखता है और किसी भी घोड़े को बेकाबू नहीं होने देता। इन्द्रियों के संबंध में भी हमारी यही नीति होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा ढील कभी न छोड़ी जाए, कोई भी इन्द्रिय अनुचित रूप से वासना में चटोरी न होने दें। अनियन्त्रित इन्द्रियाँ अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके स्वास्थ्य और धर्म के लिए संकट उत्पन्न करती हैं। आज कल अधिकाँश लोग इसी प्रकार इन्द्रियों के गुलाम बने हुए है। वह अपनी इन्द्रियाँ को वश में नहीं रखते।

(दया) दु:खियों पर रहम, किसी के प्रति अनुग्रह का भाव। दुखी जनों का दुख दूर करने की चाह और कामना को ही दया कहते हैं। दया के बगैर इस संसार का संचालन संभव नहीं है।

हमारे अंदर दया की भावना है भी लेकिन वह सीमित है क्योंकि हम केवल अपने परिवार वालों पर ही दया करते है, परन्तु ईश्वर सारे संसार पर दया करता है, इसलिए हमें दया के दायरे को परिवार की सीमाओं से बाहर निकालना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखें। शास्त्रों में मानव जाति के अलावा अन्य जीव-जन्तुओं पर भी दया करने का आदेश दिया गया है। तुलसीदास जी ने भी एक दोहा के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि हमें दया भाव रखना चाहिए।

दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान।
तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण ॥

यानि मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण हैं तब तक दया भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि दया ही अपने आप में सबसे बड़ा धर्म है। और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों की जड़ होता है।

दया ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर हम किसी व्यक्ति पर दया नहीं कर सकते तो फिर पूजा पाठ करने से भी कोई फायदा नहीं है। भगवान भी हम सब पर दया करते हैं। दया के भाव से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते है। हम सभी को यह कोशिश करना चाहिए कि हम इंसानों पर दया करें और किसी के लिए भी क्रोध न पालें।

(क्षमा) का अर्थ है किसी के द्वारा किए गए अपराध या दोष को बिना किसी दण्ड के स्वेच्छा से छोड़ देना और उसके प्रति भेदभाव और क्रोध को समाप्त कर देना। दण्ड एवं बदले के भावों को त्याग देना।

इस जीवन में हर इंसान से जाने –अन जानें में गलतियाँ होती ही रहती हैं। जब हम स्वयं गलती करते हैं तो लगता है कि काश सामने वाला क्षमा करदे, पर जब किसी और से गलती होती है तो हम रुठ कर बैठ जाते हैं। याद रहे ! किसी को क्षमा करना बहुत बड़ा परोपकार है।

यदि सोचा जाये तो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी गलती को अतीत में जाकर संवारा नहीं जा सकता उसके लिए क्षमा से अधिक कुछ नहीं मांगा जा सकता है। सभी धर्म ग्रन्थों ने क्षमा पर बल दिया है।

(धैर्य) कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाने पर भी मन में चिंता, शोक और उदासी न होने देना ही धैर्य है। धैर्य मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है जिससे मनुष्य विपरीत

परिस्थितियों से भी अपने प्रयासों द्वारा बाहर निकल आता है। इसका कारण यह है कि धैर्यवान व्यक्ति अपनी सफलता के साथ-साथ अपनी असफलता को भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। महान लोगों के जीवन और उनकी सफलता के पीछे धैर्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

(शौच) बाहर और भीतर की पवित्रता। मनुष्य को बाहर और भीतर से पवित्र रहना चाहिए जो व्यक्ति बाहर और भीतर से पवित्र होता है उसके विचार भी अच्छे होते हैं।

मनुष्य के लिए शरीर, मन, चरित्र, आचार-विचार आदि सब प्रकार की पवित्रता आवश्यक है। यदि शारीरिक पवित्रता का ध्यान न रखा जाये तो स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रह सकता और अस्वस्थ व्यक्ति कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार मानसिक पवित्रता के बिना सज्जनता, प्रेम और सद्व्यवहार के भाव उत्पन्न नहीं हो सकते और वह संसार में किसी की भलाई नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति में चरित्र की पवित्रता नहीं है वह कभी संसार में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मुँह पर नहीं तो पीछे में ही सही सब लोग उसकी बुराई ही करेंगे। विचारों में पवित्रता के बिना सुंदर रिश्तों की कलपना नहीं की जा सकती। लोगों में पवित्र विचारों का लगातार पतन हो रहा है और इन्हीं के परिणाम स्वरूप संगीन अपराधों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। हमें अपने विचार पवित्र रखना चाहिए क्योंकि विचार पवित्र होने से व्यक्ति गंगा के समान पवित्र हो जाता है।

(लज्जा) शर्म, हया, लाज, मर्यादा, मान। वास्तव में लज्जा उस विशेष गुण को कहते हैं जो व्यक्ति को समाज में फैली हुई बुराइयों से रोक दे। लज्जा से समाज में फैली हुई बुराइयों का अंत हो जाता है। महाभारत में लज्जा की परिभाषा इस प्रकार है : न करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। (महाभारत, वनपर्व, अध्याय-313, श्लोक-88)

जो निर्लज्ज अथवा मूर्ख है वह न तो स्त्री है और न पुरूष ही है। उसका धर्म-कर्म में अधिकार नहीं है। (महाभारत, उद्योगपर्व, अध्याय-72, श्लोक-38)

वर्तमान समय में समाज पूर्ण रूप से निर्लज्जता (बेशर्मी, बेहयाई) की लपेट में आ चुका है। तथाकथित प्रगति (तरक्की) ने निर्लज्जता को फ़ैशन (Fashion) का नाम दे दिया है और आज के फ़ैशन ने स्त्रियों को भी निर्वस्त्र कर दिया है। यह कैसी प्रगति है ? जो लोगों को बेहयाई की ओर ले जा रही है।

(निष्कपटता) मन में कपट या छल न होना। मन में किसी भी प्रकार का छल और कपट

भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। कोई बड़ा तपस्वी भगवान को प्राप्त कर सकता है ऐसा कदापि नहीं है।
श्रीरामचरितमानस की एक चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्रीराम का एक संवाद लिखा है।
"निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥"
जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल-छिद्र नहीं सुहाते।
(श्रीरामचरितमानस, सुंदरकाण्ड, चौपाई संख्या-3, दोहा संख्या-44)

इसलिए पहले मन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मन ही मूल आधार है और चरित्र उसके बाद। चरित्र तभी शुद्ध होगा जब मन शुद्ध हो। मन अगर शुद्ध हो गया तो चरित्र भी शुद्ध हो जाएगा। और फिर वह भगवान को प्राप्त कर सकता है।

(अमानित्व) नम्रता, सत्कार और मान आदि का न चाहना। मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। क्योंकि भक्ति यही है कि जो मान प्राप्त करने की स्वयं कोई इच्छा न रखते हुए दूसरों को सम्मान दे।

नारद जी के प्रति श्रीरामचन्द्र जी संतों के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं सन्त सदैव स्वयं मानहीन रहते हुए दूसरों को मान दिया करते हैं।

सावधान मानद मदहीना। धीर धर्म गति परम प्रबीना॥

सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यन्त निपुण। (श्रीरामचरितमानस, अरण्यकाण्ड, चौपाई संख्या-5, दोहा संख्या-45)

भरत जी से तो श्रीरामचन्द्र जी कहते हैं कि हे भरत! वे प्राणी तो मेरे लिए प्राणों के समान प्रिय हैं जो दूसरों को मान देते हैं, पर स्वयं मान नहीं चाहते।

सबहि मानप्रद आपु अमानी। भरत प्रान सम मम ते प्रानी॥

(संत) सबको सम्मान देते हैं, पर स्वयं मानरहित होते हैं। हे भरत! वे प्राणी (संतजन) मेरे प्राणों के समान हैं। (श्रीरामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, चौपाई संख्या-2, दोहा संख्या-38)

हिंदू अपने समस्त अवतारों में श्रीरामचन्द्र जी को नम्रता की मूर्ति मानते हैं। गाँधीजी के शब्दों में कहें तो नम्रता के सम्राट हैं। वह सबको मान देते थे, सबका सत्कार करने वाले थे, सबसे प्रिय बोलते थे। श्रीराम निराभिमानी थे, अपने श्रेष्ठ गुणों पर भी उन्हें घमंड नहीं था। भगवान श्रीराम के इन गुणों से हमें प्रभावशाली होना चाहिए।

आज के समय की यदि बात की जाये तो दुनिया में अधिकतर घमंडी लोगों को सिर-आँखों पर बिठाया जाता है। जबकि नम्र और दीन लोगों को कमज़ोर, बुज़दिल या चापलूस समझकर दुत्कारा जाता है। लेकिन क्या सच्ची नम्रता वास्तव में एक कमज़ोरी है और घमंड एक खूबी ? तो ऐसा कदापि नहीं है। नम्रता एक खूबी है जो हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। नम्र लोग पूरी ईमानदारी के साथ खुद की जांच करके अपने बारे में एक सही सिद्धांत स्थापित करने की कोशिश करते हैं। वह स्वीकार करते हैं कि वे असिद्ध हैं और पमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं हैं। यही नहीं, जब वह दूसरों में ऐसे गुण देखते हैं जो उनमे नहीं हैं तो वह खुश होते हैं और उन्हें खुद से बढ़कर समझते हैं। इस कारण वह न तो जलन महसूस करते हैं और न अंदर ही अंदर कुढ़ने लगते हैं। इसलिए यह कहना सही होगा कि सच्ची नम्रता की बदौलत एक इंसान दूसरों के साथ मधुर रिश्ते बनाए रख पाता है।

(संतोष) सब्र, संतुष्टी, मानसिक शांति। परमेश्वर से जो कुछ मिला है उसी पर प्रसन्न हो कर जीवन व्यतीत करना संतोष कहलाता है। हमारे समक्ष जो भी परिस्थितियाँ हों उन्हें ईश्वर का अनुग्रह मानें और प्रसन्न रहें। जब हम औरों से अपनी तुलना करते हैं तो मन में यह भाव आता है कि हमारे पास साधनों की कमी है। हमारे पास यह नहीं है वह नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त कोई और प्राणी अभाव का रोना नहीं रोता, क्योंकि उसके पास तुलना करने वाली सोच नहीं है। तुलना की इस आदत पर अंकुश लगाकर ही संतोष रहा जा सकता है। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन (Benjamin Franklin) ने कहा था :
संतोष की भावना एक गरीब को भी अमीर बना देती है।

(आर्जव) सीधापन, शाधुता, ईमानदारी। मन, वचन और कार्य की एकरूपता अच्छाई ही आर्जव है। पहले मन का पवित्र होना आवश्यक है तभी मन में अच्छे विचार जन्म लेंगे। क्योंकि जिनके मन में खोट है और जिनका मन पापों से भरा है उनके मन में धोका, हिंसा, झूट, चोरी आदि के भाव ही आया करते हैं। आज के समय में लोगों के मन इतने अपवित्र हो गये हैं, उनके मन में इतनी हिंसा समा गई है कि यदि वह वाणी में फूट पड़े तो जगत में कोहराम मच जाएगा और जीवन में आ जाए तो प्रलय होने में देर न लगेगी। इसी प्रकार मन इतना वासना में डूब गया है कि यदि वह वाणी और काया में उतर आए तो किसी भी माँ-बहन-बेटी का मान, प्रतिष्ठा (इज्जत) सुरक्षित न रहे। इसलिए यही ठीक है कि जो पाप मन में आ गया उसे वहीं तक सीमित रहने दो, वाणी में न लाओ। और यदि न चाहते हुए या किसी भी प्रकार

से वाणी में आ भी गया तो उसे कार्यरूप में कदापि नहीं लाना चाहिए यही धार्मिक आर्जव है। हमें मन, वचन और कार्य में एकरूपता लाने के लिए मन को इतना पवित्र बनाना होगा कि उसमें कोई खोटा भाव कभी उत्पन्न न हो।

मनुष्य को हमेशा पवित्र वाणी का उपयोग करना चाहिए, सभी धर्म पवित्र और हितकारी वाणी का प्रयोग करने की शिक्षा देते हैं। गाली-गलोच, अपमानजनक और अनुचित शब्द भी कभी लड़ाई-झगड़े और दंगा-फसाद की जड़ बन जाते हैं। आजकल समाज में अधिकतम झगड़े-फसाद गलत वाणी के कारण ही हो रहे हैं।

परमेश्वर भी कहता है कि अच्छे कार्ये करो और मोक्ष पाओ। अच्छे कार्ये करने से जीवन भी अच्छा बनता है और अच्छे कार्ये की सभी सराहना करते हैं। अच्छे कार्ये ही व्यक्ति की नई पहचान बनाते हैं।

(विनय) अकरणीय कार्यों से दूर रहना, बुरे कामों से बचना। याद रहे जो कर्तव्य है वही धर्म है, और जो अकर्तव्य है वह अधर्म है। पहले के समय में जो अकर्तव्य है या यूँ कहें जो अकरणीय है उसके लिए विनय शब्द का प्रयोग होता था। परन्तु उस समय की जन-भाषा में विनय कहते थे दूर रहने को, यानि वह बुरे काम जिनसे दूर रहा जाये। इस अर्थ में भगवान बुद्ध की शिक्षा "धर्म और विनय" कहलाती थी, यानि वह शिक्षा जो बताती है कि धर्म क्या है ? विनय क्या है ? क्या करणीय है ? और क्या अकरणीय है ?

नि:संदेह करणीय वह है जो हमें सुखी रखे, औरों को भी सुखी रखे। हमारा भी मंगल कल्याण करे, औरों का भी मंगल कल्याण करे। और अकरणीय वह है जो हमारी सुख-शांति भंग करे, औरों की भी सुख-शांति भंग करे। इस कसौटी पर कस कर जो कर्म किये जायें वही धर्म है और जिन जिन कर्मों का त्याग किया जाये वह विनय है।

यहाँ धर्म शब्द का अर्थ और भी बड़ा हो गया कि जो करने योग्य है उसका करना तो धर्म है ही, परन्तु जो करने योग्य नहीं है उसका न करना भी धर्म है, यानि धर्म तो धर्म है ही विनय भी धर्म है।

(विवेक) सत्य-असत्य का ज्ञान, भले-बुरे की परख। वास्तविक रूप से सत्य को असत्य से अलग जानना ही विवेक हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हम असत्य को सत्य मान लेते हैं उसको महत्व देकर तो यह विवेक नहीं है। आज के समय में अधिकतम लोग भले-बुरे में अन्तर नहीं करते, पुण्य और पाप में भेद नहीं करते। फिर भी आम तौर पर उनमें सही-गलत

में फर्क करने की थोड़ी-बहुत क्षमता (काबिलीयत) अभी भी है। क्योंकि यह काबिलीयत परमात्मा ने मनुष्य के अंदर जन्म जात (पैदाइशी) रख दी है।

आज भी मैंने कुछ लोगों को अपनी आँखों से देखा है कि जब सही-गलत की बात आती है तो कहते हैं "मेरा दिल कहता है कि यह सही नहीं है" या "आप जो कह रहे हैं वह मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर की आवाज मुझसे कह रही है कि यह काम गलत है" यह विवेक की आवाज है। वह अंदरूनी एहसास जो सही-गलत की पहचान करने में मदद करता है वह विवेक कहलाता है।

(समाधान) समस्या को हल करना, संकट को दूर करना। समस्याएं हमारे जीवन का एक हिस्सा होती हैं। जीवन में समस्या आने का मतलब है कि आपका जीवन और अधिक बेहतर होने वाला है। याद रखें कि प्रत्येक समस्या के भीतर ही उसका समाधान छिपा हुआ होता है। समस्याओं को बहुत ही शांत और संयम भाव से लेना चाहिए।

समस्या का समाधान कैसे करें ?

कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सामने उपस्थित समस्या के एक ही पहलू को देखकर उसका हल खोजने लगते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। जबकि किसी भी समस्या का हल उसके सभी पहलुओं को एक साथ देखने और समझने में छिपा होता है। जब आप अपने जीवन में किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हों तो आपकी सोच का दायरा विस्तृत होना चाहिए, तभी आप समस्या का सही हल ढूंढ पाएंगे।

कुछ बातों पर ध्यान दें ! सबसे पहले असली समस्या को समझें। समस्या को आसान बनाएँ। दूसरों से सलाह लें। अपनी भावनाओं को शांत रखें। अलग-अलग समाधान के बारे में विचार करें। फिर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें।

केवल अपनी समस्याओं का हल ही न खोजें, बल्कि दूसरों की समस्याओं को हल करने में भी सहायता करें। दूसरों की समस्या को हल करना भी पुण्य का काम है।

(अपरिग्रह) जरूरत से अधिक दान न लेना, कोई भी वस्तु एकत्रित (जमा) न करना। अपने अंदर की इच्छाओं और लालसा को त्याग देना ही अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह का विचार हिंदू धर्म तथा जैन धर्म के राजयोग का हिस्सा है। जैन धर्म के अनुसार "अहिंसा और अपरिग्रह" जीवन के आधार हैं। अहिंसा के बाद अपरिग्रह जैन धर्म में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण है। वास्तव में अपरिग्रह इच्छाओं और संपत्ति को सीमित करने का सिद्धांत है। यह लोगों

के अंदर से दिखावा, लालसा, जलन, स्वार्थ (अपना मतलब) और बढ़ती वासना को निकालता है। और बिना शोक और चिंताओं के जीवन व्यतीत करने की कला सिखाता है। यानि अपरिग्रह यह बताता है कि जरूरत के अनुसार जीवन व्यतीत करो इच्छा के अनुसार नहीं। क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, और इच्छा बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। जीवित रहने के लिए पर्याप्त वस्तु का उपयोग करना दिखावे या अहंकार से ज्यादा महान है।

कंजूसी, छीन-झपट, बेईमानी, चोरी और भ्रष्टाचार जैसे मानसिक-सामाजिक अपराध भी धन की लालसा में ही किए जाते हैं अपरिग्रह की भावना से इन अपराधों पर रोक लगती है। गरीब दु:खियों को दान देने और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की भावना जागरुक होती है।

(अद्रोह) द्रोह न करना, किसी से बैर न रखना। इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया का कोई भी धर्म यह शिक्षा नहीं देता कि धर्म के नाम पर किसी अन्य समाज के लोगों से बैर रखा जाए। महात्मा गौतम बुद्ध का यह उपदेश आज भी चर्चित है "कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा न करूँ यह धर्म मेरा" धर्म के नाम पर कोई भेदभाव और बैर नहीं होना चाहिए।

बैर और विरोध दोनों अलग-अलग हैं। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध विरोध तो पूरी ताकत से करें, लेकिन बैर किसी से न करें।

वर्तमान समय में हिंदू-मुस्लिम में बैर होना तो साधारण बात है। क्योंकि दोनों का धर्म अलग है विचारधाराएं अलग हैं। हमारे घर वाले भी हमें यही सिखाते हैं कि उससे दूर रहो क्योंकि वह मुस्लिम है, और मुस्लिम अपनी संतान से यही कहते हैं कि उससे दूर रहना क्योंकि वह हिंदू है। एक हिंदू मुसलमान का मित्र कैसे हो सकता है ? एक मुसलमान हिंदू का मित्र कैसे हो सकता है ? परन्तु हमारे पवित्र ग्रंथों और हमारे महान पूर्वजों ने यह कभी नहीं सिखाया, यह कभी नहीं कहा कि हमारा धर्म दूसरे से मित्रता की अनुमति नहीं देता। जबकि धर्म आपस में बैर रखना कभी नहीं सिखाता, धर्म तो हमेशा सद्भाव, सद्गुण और भाईचारा सिखाता है। धर्म की परिभाषा भी यही है कि जो धारण करने के योग्य हो वही धर्म है।

(निरहंकारिता) अहंकार या अभिमान की भावना का न होना। मनुष्य के अंदर जब अहंकार बढ़ता हो तो वह अच्छे से अच्छे संबंध को भी बर्बाद कर देता है। अहंकारी हमेशा हर बात में स्वयं को ऊँचा सिद्ध करने के लिए दूसरों को नीचे गिराने के बारे में सोचता रहता है। उसे हर

जगह अपनी प्रशंसा सुनने की आदत होती है। वह दूसरों का आदर नहीं करता।

छोटा बन के रहोगे तो मिलेगी हर बड़ी नेमत – बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है।

जीत किसके लिए, हार किसके लिए – जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए।
जो भी आया है, वह जाएगा एक दिन – फिर यह अहंकार किसके लिए॥

भगवान श्रीकृष्ण भी कहते हैं कि जो मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममतारहित, अहंकाररहित और स्पृहारहित हुआ विचरता है, वही शाँति को प्राप्त होता है।

(श्रीमद् भगवद् गीता, अध्याय-2, श्लोक-71)

इन सभी आचरणों का वर्णन श्रीमद् भगवद् गीता में में हुआ है जिसे त्याग से भगवत् प्राप्ति कहा जाता है। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं :

हे पार्थ ! दम्भ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी – ये सब आसुरी सम्पदाकों लेकर उत्पन्न हुए पुरूष के लक्षण हैं। (श्रीमद् भगवद् गीता, अध्याय-16, श्लोक-4)

यानि दिखावा, घमंड, गुरूर, गुस्सा, कड़क अंदाज में बात करना और जिहालत यह सब एक राक्षस इंसान की पहचान है।

श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दम्भाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को न सताना, क्षमाभाव, मन-वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा-भक्तिसहित गुरू की सेवा, बाहर-भीतर की शुद्धि, अन्त:करण की स्थिरता और मन-इन्द्रियों सहित शरीर का निग्रह।

(श्रीमद् भगवद् गीता, अध्याय-13, श्लोक-7)

यानि श्रेष्ठ होने पर भी श्रेष्ठता का अभिमान न रखना, व्यवहार में विनम्र होना, किसी भी जीव को पीड़ा न देना, अपमान की अवस्था में भी क्षमा करने के लिए तैयार रहना, मन एवं व्यवहार में सरलता, सच्चे गुरू अथवा अध्यात्मिक आचार्य का आदर और बिना किसी लाभ के सेवा करना, अन्दर और बाहर की पवित्रता, धर्म के मार्ग में सदा स्थिर रहना, इन्द्रियों को वश में करके अंत:करण को शुद्ध करना।

उपर सभी आचरणों का उल्लेख हमने कर ही दिया है। यह आचरण मनुष्य के लिए सबसे उत्तम आचरण हैं। इन आचरणों को धारण करके मनुष्य संपूर्ण रूप से सुख एवं शांति प्राप्त कर सकता है। मैं यह समझ सकता हूँ कि सभी आचरणों का पालन करना कठिन है, फिर भी हमें इन आचरणों के पालन का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। अगर हम इन में से कुछ का भी पालन करने में सक्षम हो जाएँ तो हमारे समाज से दुखों का अंत हो सकता है, सुख एवं

शांति प्राप्त हो सकती है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि गीता में 15 से 20 श्लोक ऐसे हैं जिनमें कहा गया है कि अर्जुन ! तू युद्ध कर, लेकिन कोई भी श्लोक ऐसा नहीं है जो बाहरी मार-काट या किसी बे-कसूर व्यक्ति की हत्या करने की अनुमति देता हो। वास्तव में युद्ध तो अपने बुरे आचरणों से करना है और अपने अन्दर छिपे राक्षस को मारना है।

श्रीमद् भगवद् गीता की प्रमुख बातें यह है कि यह शरीर तो मर कर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती वह सदा जीवित रहती है। दूसरी बात यह कि मनुष्य को फल की चिंता किये बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। और तीसरी बात यह कि अच्छे कर्म ही भगवान की सच्ची भक्ति हैं। और लोगों के साथ सद्व्यवहार करना भगवान की पूजा के समान है। भगवद् गीता में यह बताया गया है कि कर्मों के द्वारा भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? अपने-अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत् प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म कर के परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन ॥ (श्रीमद् भगवद् गीता, अध्याय-18, श्लोक-45)
जिस परमेश्वर से सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत् व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा कर के मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है ॥ (श्रीमद् भगवद् गीता, अध्याय-18, श्लोक-46)
इस प्रकार निस्वार्थभाव से एक-दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। (श्रीमद् भगवद् गीता, अध्याय-3, श्लोक-11)

आज के समय में हर हिंदू अपने आप को श्रीराम का भक्त कहता है। मैं कहता हूँ राम का भक्त होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान श्रीराम का जीवन आदर्शों से भरा हुआ है। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, उनमें श्रीराम चन्द्र जी के अवतार को ही मर्यादा पुरूषोत्तम कहा गया है। हिंदू समाज में श्री रामचन्द्र जी को सबसे आदर्श पुरूष माना जाता है और उनके चरित्र की मिसाल दी जाती है। लेकिन आज हिंदू धर्म के ही कुछ लोगों ने राम को राजनीति का साधन बना दिया है। उनके नाम पर राजनीति तो करते हैं लेकिन उनके आदर्शों का पालन नहीं करते, अपने आप को राम का भक्त तो कहते हैं लेकिन उनकी भक्ति को नहीं जानते। कुछ लोगों ने तो केवल मुसलमानों के पृति घृणा को ही सारी भक्ति समझ लिया है। यह कहना गलत न होगा कि ऐसे लोगों से तो भगवान श्रीराम को स्वयं घृणा होती होगी जो अपराध को उनके नाम से जोड़कर अंजाम देते हैं। आइए ! जानते हैं भक्ति क्या है ? भगवान श्रीराम की

भक्ति खुद उन्हीं के द्वारा सुनते हैं, जो उपदेश उन्होंने शबरी को नवधा भक्ति के दिए थे।
मैं तुझ से अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ। तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरे कथा-प्रसंग में प्रेम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरू के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मेरे (राम) मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास यह पाँचवीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इन्द्रियों का निग्रह, शील (अच्छा स्वभाव या चरित्र), बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरूषों के धर्म (आचरण) में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत् भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत (राममय) देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानन्। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना, ह्रदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य (विषाद) का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री-पुरूष, जड़-चेतन कोई भी हो।
(श्रीरामचरितमानस, अरण्यकाण्ड, दोहा संख्या-35, चौपाई संख्या-1-3)
तो आप ने देखा कि भगवान राम ने अच्छा स्वभाव या चरित्र, सरलता और सबके साथ कपटरहित बर्ताव करने को अपनी भक्ति कहा। और इस में कोई संदेह नहीं कि अच्छा स्वभाव और चरित्र, लोगों के साथ सद्व्यवहार, साहिष्णुता के साथ जीवन व्यतीत करना और अच्छे कर्म करना भगवान की सच्ची भक्ति है। और फिर संसार में नाम कमाने के लिए सद्गुणों और अच्छे कामों की बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि गुण और अच्छे काम ही एक साधारण व्यक्ति को भी स्वामी बना देते हैं।

गौहत्या आज की एक समस्या

लोगों ने यह गलत धारणा बना रखी है कि भारत में सिर्फ मुसलमान ही हैं जो गौमांस खाते हैं। यह बिल्कुल ही निराधार सोच है, क्योंकि इसका कोई भी ऐतिहासिक आधार नहीं है। वैदिक साहित्य में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि उस दौर में भी गौमांस का सेवन किया जाता था। जब यज्ञ होता था तब भी गोवंश की बली दी जाती थी।

उस समय यह भी रिवाज था कि अगर मेहमान आ जाए या कोई मुख्य व्यक्ति आ जाए तो उसके स्वागत में गाय की बली दी जाती थी। विवाह के अनुष्ठान में या फिर गृह प्रवेश के समय

भी गौमांस खाने-खिलाने का चलन आम हुआ करता था। गौहत्या पर पहले कभी प्रतिबंध नहीं रहा, लेकिन पाँचवी-छटी शताब्दी के आस-पास छोटे-छोटे राज्य बनने लगे और भूमि दान देने का चलन शुरू हुआ। इसी कारण खेती के लिए जानवरों का महत्व बढ़ता गया। विशेषत: गाय का महत्व भी बढ़ा। उसके बाद धर्मशास्त्रों में उल्लेख आने लगा कि गाय को नहीं मारना चाहिए। धीरे-धीरे गाय को न मारना ब्राह्मणों की एक विचारधारा बन गई। दूसरी तरफ दलितों की संख्या भी काफ़ी बढ़ने लगी थी। उस समय ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों में यह भी लिखना शुरू किया कि जो गोमांस खाएगा वो दलित है। उसी दौरान सज़ा का भी प्रावधान किया गया, यानि जिसने गौहत्या की उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा। फिर भी ऐसा कोई नियम नहीं था कि गौहत्या करने वाले की जान ली जाए, जैसा आज कुछ लोग कर रहे हैं। इसके लिए कोई कड़ी सज़ा का प्रावधान नहीं किया गया। सज़ा के तौर पर सिर्फ इतना तय किया गया कि गौहत्या करने वाले को ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा। धर्मशास्त्रों में यह कोई बड़ा अपराध नहीं इसलिए प्राचीनकाल में इस पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। हाँ मुग़ल बादशाहों के दौर में इतना जरूर हुआ कि कुछ खास-खास अवसरों पर गौहत्या पर पाबंदी रही। सारा विवाद 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने गौरक्षा के लिए अभियान चलाया, और इसके बाद ऐसा चिह्नित कर दिया गया कि जो मांस बेचता और खाता है तो वह मुसलमान है। इसी के बाद साम्प्रदायिक तनाव भी होने शुरू हो गए, उससे पहले साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते थे। वैसे गोवंश की पूजा ज़रूर होती है लेकिन गाय के लिए अलग से कोई मंदिर नहीं होते।

गौरक्षा को लेकर महात्मा गाँधी के विचार :

मैं खुद गाय को पूजता हूँ यानि मान देता हूँ। गाय हिंदुस्तान की रक्षा करने वाली है, क्योंकि उसकी संतान पर हिंदुस्तान का, जो खेती-प्रधान देश है, आधार है। गाय कई तरह से उपयोगी जानवर है। वह उपयोगी जानवर है, यह तो मुसलमान भाई भी कबूल करेंगे। लेकिन जैसे मैं गाय को पूजता हूं वैसे मैं मनुष्य को भी पूजता हूं। जैसे गाय उपयोगी है वैसे मनुष्य भी, फिर चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू उपयोगी है। तब क्या गाय को बचाने के लिए मैं मुसलमान से लड़ूँगा ? क्या मैं उसे मारूँगा ? ऐसा करने से मैं मुसलमान का और गाय का भी दुश्मन बनूँगा। इसलिए मैं कहूँगा कि गाय की रक्षा करने का एक ही उपाय है कि मुझे अपने मुसलमान भाई के सामने हाथ जोड़ने चाहिए और उसे देश की खातिर गाय को बचाने के लिए समझाना

चाहिए। अगर वह न समझे तो मुझे गाय को मरने देना चाहिए, क्योंकि वह मेरे बस की बात नहीं। अगर मुझे गाय पर अत्यंत दया आती हो तो अपनी जान दे देनी चाहिए, लेकिन मुसलमान की जान नहीं लेनी चाहिए। वही धार्मिक कानून है, ऐसा मैं तो मानता हूँ।

फिर आगे गाँधी जी कहते हैं कि मेरा भाई गाय को मारने दौड़े, तो मैं उसके साथ कैसा बरताव करूँगा ? उसे मारूँगा या उसके पैरों में पड़ूँगा ? अगर आप कहें कि मुझे उसके पांव पड़ना चाहिए, तो मुझे मुसलमान भाई के भी पांव पड़ना चाहिए। (हिन्द स्वराज, पृष्ठ-32,33)

मूल प्रश्न (सवाल) यह है कि क्या कोई किसी के खाने-पीने पर रोक लगा सकता है ? कोई कैसे अपने धर्म को दूसरे पर थोप सकता है ? और यह कैसे संभव है कि हर भारतीय का एक धर्म हो जाए ? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें हर एक नागरिक को धार्मिक आजादी हासिल है। इसलिए उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाना, मानो उनसे उनका अधिकार छीनने के समान है। देश में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि दलित भी बीफ़ खाते हैं, आदिवासी खाते हैं, ईसाई खाते हैं और दक्षिण भारतीय राज्य केरल में ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी सब खाते हैं, और सर्वे यह बताता है कि भारत में लगभग 71-प्रतिशत आबादी ऐसे लोगों की है जो खाने में मांस का उपयोग करते हैं। और तो और भारत उन शीर्ष देशों में से है जो विश्व भर में मांस का सबसे बड़ा निर्यात करते हैं। बीफ निर्यात करने वाले लोगों का संबंध भी किसी एक धर्म और वर्ग से नहीं है। भारत के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स गैर-मुस्लिम हैं। अल-कबीर एक्सपोर्ट्स, अरेबियन एक्सपोर्ट्स, अल-नूर एक्सपोर्ट्स, एम. के. आर. एक्सपोर्ट्स, ए. ओ. वी. एक्सपोर्ट्स, स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स, अश्विनी एग्रो एक्सपोर्ट्स, पोन्ने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स आदि बीफ निर्यात करने वाली कंपनियों के मालिक गैर-मुस्लिम हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब तीन ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहाँ से सबसे ज्यादा बीफ का निर्यात होता है। भारत से निर्यात होने वाले मांस और इससे जुड़े कारोबार में मुसलमानों की तुलना में गैर-मुस्लिम कारोबारियों की संख्या काफी अधिक है। मगर आज भी बीफ के व्यवसाय को सिर्फ एक धर्म के लोगों के साथ ही जोड़कर देखा जाता है।

भारत में गौहत्या या मवेशियों को लेकर हर राज्य का अपना अलग कानून है। आइए ! एक नज़र डालते हैं इन कानूनों पर।

11 राज्यों में गौहत्या पर प्रतिबंध :

11 राज्य ऐसे हैं जहाँ गाय, बछड़ा, बैल और सांड की हत्या पर पूरी तरह रोक है, लेकिन

भैंस का मांस खाने की अनुमति है। जम्मू-कशमीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इसी प्रकार दिल्ली और चंडीगढ़ में भी लागू है।

8 राज्यों में गौहत्या पर आंशिक प्रतिबंध :

गौहत्या पर आंशिक प्रतिबंध वाले आठ राज्य हैं। आंशिक प्रतिबंध का मतलब है कि गाय और बछड़े की हत्या पर पूरा प्रतिबंध है, लेकिन बैल, सांड और भैंस को काटने और खाने की अनुमति है। वह राज्य यह हैं बिहार, झारखण्ड, ओड़िशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और केंद्र शासित दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, पांडिचेरी (पुदुच्चेरी), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।

10 राज्यों में गौहत्या पर नहीं है कोई प्रतिबंध :

दस राज्य ऐसे हैं जिनमें गौहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ गाय, बछड़ा, बैल, सांड, और भैंस का मांस खुले बाजार में बिकता और खाया जाता है। वह राज्य यह हैं केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और केंद्र शासित लक्षद्वीप में गौहत्या पर कोई रोक नहीं है। हां असम और पश्चिम बंगाल आदि कुछ राज्यों में उन्हीं पशुओं को काटा जा सकता है जिन्हें "फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट" (Fit For Slaughter Certificate) मिला हो।

गौहत्या पर कानून :

गुजरात में गौहत्या पर सबसे सख्त कानून हैं। गोहत्या पर अजीवन कारावास (उम्रकैद), गौमांस रखने पर अधिकतम 10-वर्ष की जेल और एक लाख रूपये से 10-लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

हरियाणा में गौहत्या करने वाले को एक लाख रूपये का जुर्माना और 10-वर्ष तक की कैद का प्रावधान है।

राजस्थान में गौहत्या पर कम से कम तीन वर्ष और अधिकतम 10-वर्ष की कैद और दस हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान है।

झारखण्ड में गौहत्या करने वाले के लिए अधिकतम दस वर्ष तक की जेल की सज़ा है।

उत्तर प्रदेश में गौहत्या करने पर सात साल तक की जेल की सज़ा है और केवल अपराध

करने के प्रयास करने पर साढे तीन साल की जेल हो सकती है।

मध्य प्रदेश में भी गौहत्या करने पर सात साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है।

महाराष्ट्र में गौहत्या पर दस हजार रूपये का जुर्माना और पाँच वर्ष की जेल की सज़ा है।

गौहत्या पर प्रतिबंध वाले बाकी राज्यों में दस हजार रूपये तक का जुर्माना और पाँच वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। वहीं गौहत्या पर आंशिक प्रतिबंध वाले राज्यों में एक हजार रूपये तक का जुर्माना और दो वर्ष तक की जेल होती है।

गौहत्या पर प्रतिबंध वाले राज्यों में इन सजाओं का प्रावधान है। किसी राज्य में भी उसकी सजा मौत नहीं है। गौहत्या के आरोपी या अपराधी पर कारवाई करना प्रशासन का काम है और सजा देना न्यायालय का काम। किसी गौरक्षक या दंगाई भीड़ को यह अधिकार हासिल नहीं है कि गौरक्षा के नाम पर किसी व्यक्ति की हत्या करे। यदि कोई इस प्रकार गौरक्षा के नाम किसी व्यक्ति की हत्या जैसा संगीन अपराध करता है तो उसे भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 302 तहत सजा होनी चाहिए। क्योंकि गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा के कारण बहुत ही तेज़ी से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता जा रहा है। गौरक्षा के नाम पर हिंसा के कई मामले देश भर में सामने आए हैं। सन्-2018 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी गोहत्या को लेकर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की थी। यही नहीं उन्होंने पुलिस की एक वैन में आग लगा दी, पूरा इलाका युद्ध के मैदान के रूप में बदल गया। यहाँ तक कि पुलिस और भीड़ के बीच हुई झड़प में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मृत्यु भी हो गई थी। अब मूल्य प्रश्न (सवाल) खड़ा यह होता है कि जब गौहत्या को लेकर पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं तो सामान्य जनता अपने आप को सरक्षित कैसे महसूस करे। गौरक्षा के नाम पर देश में हिंसा नहीं होनी चाहिए। भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया है कि कोई कानून को अपने हाथ में न ले, क्योंकि कोई भी अपने आप में कानून नहीं हो सकता। देश में भीड़तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सख्त आदेश दिया है कि वो संविधान के मुताबिक काम करें और इस प्रकार हो रही भीड़ की हिंसा को रोकें। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, बल्कि गोरक्षा के नाम पर भीड़ की हिंसा गंभीर अपराध है। अदालत इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ले।

मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है

इस बात का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं कि कोई भी धर्म वैर, घृणा, अशांति, अत्याचार, दंगा-फसाद, और किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने की अनुमति नहीं देता, हर धर्म प्रेम, शांति, साहिष्णुता, मानव सम्मान, सत्य के रास्ते पर चलने और अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा देते हैं। संसार में बहुत सारे धर्म हैं सभी धर्म अपनी-अपनी मान्यताओं, आस्थाओं, विश्वासों, सिद्धांतों एवं जीवन-दर्शन पर आधारित हैं। कुछ बातों और सिद्धांतों में यह अवश्य अलग हो सकते हैं लेकिन सभी धर्म नैतिकता का ही दूसरा नाम हैं। संसार के विभिन्न धर्म हमें अन्धकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर और पाप से पुण्य की ओर ले जाते हैं। फिर कोई भी धर्म आपसी वैर को उत्पन्न करने वाला या बढ़ाने वाला कैसे हो सकता है ?

यदि कोई धर्म बैर, हिंसा, क्रूरता, घृणा और शत्रुता की शिक्षा देता है, तो फिर उसे धर्म कहा ही नहीं जा सकता। जिस प्रकार हम किसी स्थान पर पहुंचने के लिए कई मार्गों से होकर जा सकते हैं उसी प्रकार जीवन में अच्छाई और पवित्रता लाने के लिए किसी भी धर्म का आश्रय ले सकते हैं। आजकल धर्म के नाम पर वैर, घृना तथा हिंसा की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं, इनके पीछे अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ राजनेताओं का और मानवता के दुश्मनों का हाथ है। हमें याद रखना चाहिए कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। हमें अपने देश की हजारों साल पुरानी साझी संस्कृति को बचाकर रखना होगा। इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा तभी हमारा देश और यह विश्व मनुष्य के लिए एक बेहतर स्थान हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी और जैन यह सब एक परिवार के समान हैं। इस परिवार के एक घर में रहने वाले का नाम मुसलमान हैं, तो दूसरे घर में रहने वाले को हम हिंदू कहते हैं। ईसाई, सिख, यहूदी और जैन अलग-अलग घरों में रहते हैं। इन सबके नाम अलग हैं, लेकिन वह एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। बल्कि वह एक ही परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि हम सबके जन्म का तरीका एक है। हमारे एहसास और भावनाएँ समान हैं। ईश्वर ने हमारे बीच कोई भेद-भाव नहीं किया है। जब हम सब एक हैं, तो हम एक-दूसरे से नफरत कैसे कर सकते हैं ? कैसे एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म के इंसान की हत्या कर सकता है ? क्या किसी ने दूसरे को मारने से पहले खुद को सुई भी चुभाकर देखी है कि इससे कितना

दर्द होता है ? क्या किसी ने दूसरे का खून बहाने से पहले देखा है कि उसके खून का रंग कैसा है ? अगर हमारे खून का रंग एक है, हमारा दर्द एक है तो हम एक-दूसरे को नुकसान और कष्ट क्यों पहुंचाएँ ? वह कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर दूसरों की हत्या कर रहे हैं ? क्या यह हत्या की अनुमति उनके धर्म ने दी है ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।

इसलिए कि कोई झर्म नफरत की शिक्षा नहीं देता। चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो या ईसाई, चाहे सिख हो या फिर यहूदी। मैंने किसी धर्म में नफरत नहीं देखी। हर धर्म इंसानियत का पैगाम देता है। ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है। फिर उसने इंसान बनाने के साथ ही हमें जिम्मेदारियां भी दी हैं। इंसान होने के नाते एक हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि हम अपने आस-पास रहने वाले लोगों की सहायता करें, उनका ख्याल रखें, न कि उनको तकलीफ पहुंचाएँ। अगर दूसरे लोग तकलीफों में जल रहे हों, तो भला हम कैसे खुश रह सकते हैं ? यह तो इंसानियत के खिलाफ है। अगर दूसरों का दर्द आपको प्रसन्नता देता, तो ऐसा जीवन बेकार है। मैं ऐसे जीवन पर लानत भेजता हूं, जहां आप दूसरों की तकलीफों के बीच खुशियां मनाते हों। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, हर धर्म इंसानियत की बात करता है। क्योंकि हर धर्म कहता है दुखी और मजबूरों की सहायता करो। जो लोग खून-खराबे की बात करते हैं, नफरतों (घृणा) के बीज बोते हैं, हमें आपस में लड़ाने और बांटने का प्रयास करते हैं, हमें सोचना चाहिए ऐसी ताकतों की मंशा क्या है ? उनके इरादे क्या हैं ?

यह समय चुप रहने का नहीं है, बल्कि अब समय आ गया है कि हम ऐसी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाएं। यह इंसानियत का अनुरोध है। यह आज की जरूरत है। मैंने कहीं पढ़ा था कि समुद्र में एक जहाज जा रहा था। समुद्र के नीचे तल पर मौजूद कुछ लोग जहाज में छेद कर रहे थे। शायद वह जहाज डुबाने की इच्छा रखते थे। जहाज के ऊपरी मंजिल पर बैठे लोग यह नजारा बड़ी संतुष्टि के साथ देख रहे थे। उन्होंने कहा, जो हो रहा है होने दो, हमें क्या ? उन्होंने जहाज में छेद करने वालों को नहीं रोका। उन्हें लगा कि अगर जहाज डूबा तो सिर्फ नीचे वाले मरेंगे और वह बच जाएंगे। लेकिन आप लोग ऐसी भूल मत करना। इसलिए कि अगर जहाज डूबा तो हम सब जाएंगे, कोई नहीं बचेगा।

आइए हम प्रतिज्ञा करें कि हम जहाज नहीं डूबने देंगे। यह जहाज क्या है ? यह जहाज है इंसानियत की प्रतिष्ठा, मान-मर्यादा और गौरव का। हम इंसानियत पर आंच नहीं आने देंगे। हमारी कोशिश है कि हम भारत के हर नागरिक को एक-दूसरे के करीब लाएं और अमन व

शांति बरकरार रखें। आज-कल राजनीति ने घृणा के बीज बोने का रूप धारण कर लिया है मैं पूंछना चाहता हूँ कि यह कैसी राजनीति है जो हमें करीब नहीं आने देती। यह कैसी राजनीति है जो हमें एक-दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रही है ? अगर हम सब मिलकर एक हो जाएं तो यह देश और भी मजबूत हो जाएगा, प्रगति भी कर जाएगा, हर तरफ शांति और खुशहाली भी होगी। हमें एक-दूसरे को करीब लाना है। मैं कोई नेता नहीं हूँ। मेरा राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं है। और न ही मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक हूँ। मैं समर्थक हूँ तो इंसानियत का, मैं समर्थक हूँ मानव सम्मान का, मैं समर्थक हूँ धर्म की आस्था का, मैं समर्थक हूँ साहिष्णुता का, मैं समर्थक हूँ एक-दूसरे की सहायता का और मैं समर्थक हूँ आपसी भाई-चारे का। इसलिए कि मैंने हिंसा में किसी हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई को मरते हुए नहीं देखा। मैंने मरते हुए देखा है तो एक इंसान को। मैंने अगर मरते हुए देखा है तो एक पिता को, एक पत्नी को, एक मां या फिर एक बेटे को। मैंने लोगों के घरों को उजड़ते हुए देखा है, मैंने किसी को विधवा होते हुए देखा है, मैंने किसी के बच्चों को यतीम होते हुए देखा है, मैंने जवान बेटे की लाश पर एक मां को तड़पते हुए देखा है, मैंने लोगों को बे-सहारा होते हुए देखा है, मैंने इंसानियत को दम तोड़ते हुए देखा है, मैंने मानवता का गला घुटते हुए देखा है। अगर हमें इन रिश्तों को बचाना है तो हमें एक पिता, एक भाई, एक मां, एक बहिन बनकर सोचना होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि हिंसा से किस प्रकार रिश्ते और इंसानियत तबाह हो रही है। इंसानियत को बचाने के लिए इस देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, सिख हो या इसाई, पारसी हो या जैन, जो किसी भी समान्य समस्या का सामना करते हैं उन्हें संयुक्त बल से हटाने के लिए संघर्ष करना चाहिए, कर्तव्यों को साझा करना किसी भी धर्म के विपरीत नहीं है, इसलिए इस में कोई बाधा भी नहीं होनी चाहिए।

हमें यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि जब हम एकता की ओर कदम बढ़ाएंगे तो कुछ लोग हमारे रास्ते में रुकावट भी पैदा करेंगे, और वह धार्मिक शिक्षा या आदेश को गलत रूप से सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। और वह धार्मिक पुस्तक से साक्षी के रूप में प्रमाण भी देंगे कि देखो तुम लोग उनसे एकता की बात करते हो जिनकी धार्मिक पुस्तक में हमारे बारे में ऐसा लिखा है। मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे किसी की बात पर विश्वास न करें। अगर अपको किसी धर्म के बारे में जानना हो तो उस धर्म के विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि किसी भी आदेश को जानने के लिए जरूरी है कि उसकी स्थिति को देखें कि वह

आदेश किसके लिए है, और कब दिया गया ? उसका पूर्ण विवरण स्पष्ट रूप से जानना जरूरी है, तभी आप उस आदेश को पूर्ण रूप समझ सकते हैं। इस्लाम का एक उदाहरण देता हूं कि कुरआन में अल्लाह तआला का आदेश है :

"मुशरिकीन जहाँ मिलें उनको मार दो" (सूरह अल-तौबा, आयत-5)

कुछ हिंदू भाईओं को मैंने कहते हुए सुना है वह इस प्रकार की आयतें सुना और दिखा कर लोगों को गुमराह करते हैं और बहकाते हैं। वास्तव में उन भाईओं ने इस आयत की स्थिति नहीं देखी कि वह किसके लिए है, जब उसका विवरण देख लेते तो इस प्रकार की बात कभी न करते। दूसरी आयत में यह आदेश इस प्रकार है : "और उनसे लड़ो यहाँ तक कि दंगा-फसाद का अंत हो जाए" (सूरह अल-अनफाल, आयत-39)

तो इससे यह बात सुनिश्चित हो गई कि यह आयत उनके लिए है जो दंगा-फसाद फैलाने वाले हैं। जिन्हें हम वर्तमान समय में आतंकवादी कहते हैं। जो बे-गुनाहों की हत्या करते हैं, उनके लिए अल्लाह तआला ने आदेश दिया कि दंगा-फसाद फैलाने वाले, बे-गुनाहों की हत्या करने वाले आतंकवादी जहाँ हाथ आ जाएं उनको मार दो, या पकड़कर कैद करदो। दंगा-फसाद फैलाने वालों को मारना या कैद करना, इसे दुनिया का कोई भी कानून गलत नहीं कहता। फिर जब इस्लाम ने यह आदेश दिया तो लोग इस आयत का गलत अर्थ निकाल कर इस्लाम को क्यों बदनाम करते हैं ?

इसी प्रकार अन्य धर्मों की शिक्षा और आदेश हैं जिनको हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए किसी धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना हो तो उस धर्म के विशेषज्ञ से मिलें, ऐसे हर किसी की बात पर विश्वास न करें। क्योंकि सभी धर्म सत्य के रास्ते पर चलने का आदेश देते हैं। वास्तव में धर्म प्रेम और शांति ही का दूसरा नाम है जो लोगों को जोड़ कर एक रास्ते पर चलाता है। इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए।

सदियों से हमें बांटा जा रहा है कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर। बांटने की यह परम्परा कभी फिरंगियों ने निभाई थी आज अपने ही निभा रहे हैं। हद से ज्यादा गन्दी हो चुकी है यह राजनीति अपने स्वार्थ और मतलब के लिए हर बार हमें कुछ राजनेता आपस में बांट कर सत्तासीन हो जाती है और हम लाचार व बेकार होकर आपस में लड़ते रहते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी के बहकावे में आकर आखिर हम कब तक लड़ते रहेंगे। हमारी लड़ाई आपस में नहीं, हमारी लड़ाई तो उन सत्ताधारी पार्टियों से है जो

हमारा हक (अधिकार) हम तक नहीं पहुँचाते, बल्कि हमें आपस में लड़ाते हैं।

वैसे वास्तव में इंसान की कमजोरी यह भी है कि धन, दौलत और शोहरत के लालच में वह अपने धर्म के कानून का त्याग कर देता है। अपने देश के कानून का त्याग कर देता है। आज-कल धर्म की परिभाषा बदल गयी है। हिंदू उसे कहते हैं जो मुसलमानों से नफरत करे और मुसलमान उसे कहते हैं जो हिंदूओं के खिलाफ आग उगले। हालांकि इंसानों से नफरत तो हिंदू धर्म का हिस्सा ही कभी नहीं रही और किसी भी धर्म के खिलाफ आग उगलना इस्लाम के विपरीत है, क्योंकि इस्लाम सलामती और शांति का नाम है। फिर यह परिभाषा कब और कैसे प्रचलित हो गयी कुछ समझ नहीं आता। आज लोग कट्टरवादी होते जा रहे हैं, अगर कोई कट्टरवाद के खिलाफ आवाज उठाए तो समाज उसे मुजरिम मानता है। जबकि वास्तव में कट्टरवाद ही समाज का मुजरिम और एकता का दुश्मन है। मैं बैठ के सोचता हूं कि यह कौन-सा नया धर्म पैदा हो गया है जहां जुल्म, अत्याचार, इल्जाम, झूट, नफरत और साजिश का बोलबाला नजर आ रहा है। इस नफरत भरे धर्म की परिभाषा में बदले की भावना को उकसाया जाता है। आज के युग में धर्म के नाम पर युद्ध और एक-दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल आम हो गया है। ऐसे में किसी से आप यह सवाल करना कि क्या आप सच्चे हिंदू है ? क्या आप सच्चे मुसलमान हैं ? यह कहां तक उचित है कि दिलों में नफरत भरे यह इंसान एक-दूसरे पर और उसके धर्म पर कीचड़ उछालने को आज अपना धर्म मान बैठे हैं ? मंदिर-मस्जिद के नाम पर लड़ना क्या यही धर्म है। धर्म क्या कहता है इस विषय पर ? धर्म कहता है इंसान की जान की कीमत इस मंदिर-मस्जिद से अधिक है। इंसान की जान गयी तो वह वापस नहीं आएगी यह मंदिर-मस्जिद तो फिर बन जाएंगे। जरा सोचिए कि भगवान राम क्या उस पूजा से प्रसन्न होंगे जो उस मंदिर में की गयी हो जिसको लोगों की हत्या करके बनाया गया हो ? क्या खुदा उस इबादत को स्वीकार करेगा जो उस मस्जिद में की गयी हो जिसको बनाने के लिए लोगों का खून बहा हो ? सच्चा हिंदू और मुसलमान जानता है कि यह सब राजनीति है वरना हिंदू-मुसलमान दोनों शांति प्रिय हैं। जब जब वोट का समय आता है नेता जी आते हैं और अयोध्या का मुद्दा उठाते हैं, और जब जीत गए तो भूल गए। न आज तक वहां मस्जिद बनी न मंदिर बना। आज आवश्यकता है कि हर इंसान अपने अच्छे धर्म की तलाश करे और उस पर जितना चल सकता है चलने की हर संभव प्रयास करे, और इसके लिए किसी भी धर्म की राजनीतिक फायदे के लिए बनाई गयी परिभाषा से अलग हट के सोचे,

तब उसे अपने आस-पास ही सच्चा हिंदू और सच्चा मुसलमान नजर आने लगेगा। और यह वास्तविकता भी खुलकर सामने आजाएगी कि किसी भी धर्म का संदेश इंसानियत के खिलाफ नहीं, अत्याचार नहीं, फरेब नहीं, दूसरे धर्म से नफरत नहीं बल्कि इंसानों से प्रेम है।

हम यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि शांति और प्रेम मानव स्वभाव है, जबकि नफरत अपने आप पैदा नहीं होती, बल्कि लोग उसे अपने कुकर्मों और कारस्तानियों द्वारा पैदा करते हैं। और मानव इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि नफरतों के बीज बोकर मोहब्बत (प्रेम) की फसल काटी गई हो। वैज्ञानिक विकास के बावजूद मनुष्य ने मनुष्य का अनुचित लाभ उठाया है और उसका शोषण किया है। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति शांति और प्रेम की मांग कर रहा है, जबकि ईश्वरीय शिक्षाओं और निर्देशों के अलावा कोई दूसरी चीज ऐसी नही है जो मनुष्यों के लिए शांति और प्रेम का कारण बने। ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है और इंसानियत की सीमा में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करने का हमें आदेश दिया है। हम लोग जिस समाज में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं उस समाज में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। समाज में रहने वाले लोग अपने-अपने धर्मों के नियम व परंपराओं का पालन अपने-अपने ढंग से करते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका धर्म ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन अपने धर्म को श्रेष्ठ कहने से पहले वह व्यक्ति शायद यह भूल जाता है कि उसके धर्म से बढ़कर भी एक और धर्म है जो कि इंसानियत का है। हो सकता है यह बात एक बार में हर व्यक्ति के समझ में न आए, तो आइए उसका कुछ वर्णन कर देते हैं। जब बच्चे (शिशु) का जन्म होता है तो उस समय वह न हिंदू होता है न मुसलमान, न सिख होता है न ईसाई लेकिन वह एक इंसान जरूर होता है। यदि उसके माता-पिता अगर हिंदू होते हैं तो वह हिंदू बन जाता है, उसके माता-पिता अगर मुसलमान होते तब वह मुसलमान बन जाता, अगर सिख या ईसाई होते तब वह सिख या ईसाई बन जाता। तो पता यह चला कि वह हिंदू या मुसलमान बाद में बना उससे पहले वह एक इंसान था। इसलिए इंसानियत का धर्म सबसे बढ़कर हुआ। इंसानियत यानी मानवता। मानवता ही एक मात्र वह कर्तव्य रूपी धर्म है जिसको निभाने में हर व्यक्ति स्वयं को गौरवशाली समझता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो किसी दुर्घटना में चोटिल हो जाता है और वह सहायता के लिए पुकार लगाता है तब ऐसे में कोई व्यक्ति मानवता को धर्म मानकर यदि उसकी सहायता करदे तो शायद उस समय मानवता का धर्म उस व्यक्ति के धर्म से कई गुना ज्यादा महत्व रखता है। मानवता के नाते यदि कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है तो इस बात

में कोई दो राय नहीं है कि उस व्यक्ति को अवश्य ही पुण्य की प्राप्ति होगी। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करते हैं जिसको सच में हमारी सहायता की आवश्यकता है तो ऐसा करने से बड़ा पुण्य का काम कोई और नहीं हो सकता। इसलिए हमें चाहिए कि मानवता के नाते प्रत्येक जरूरतमंद की मदद करें। मेरा यह दावा है कि एक बार आप इंसानियत के नाते किसी जरूरतमंद की सहायता करके तो देखें आपको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। हमारा यह जीवन केवल अपने सुख की चाह तक ही सीमित न रहे बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य अपने परिवार, समाज और पूरी मानव जाति के सुख के लिए होना चाहिए। मानव होने के नाते जब तक दूसरों के दु:ख-दर्द में साथ नहीं निभाएंगे तब तक इस जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। हमारे जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम समाज को ही अपना परिवार मानें। अगर आज के इस युग में मनुष्य-मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं सीखेगा, तो भविष्य में वह एक-दूसरे का घोर विरोधी ही होगा। मनुष्य को कोई भी चीज क्रोध से नहीं प्रेम से जीतना चाहिए और क्रोध को भी क्रोध से नहीं बल्कि क्षमा से जीतना चाहिए। जो व्यक्ति क्षमा को अपने अन्दर धारण करके रहता है वह एक दिन महान व्यक्ति बन जाता है।

अच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए यह भी जरूरी है कि इंसान स्वयं को पहचाने, अपनी योग्यता और क्षमताओं को पहचाने। जो इंसान स्वयं को पहचानता है वह अपनी सभी क्षमताओं, ईश्वर की दी हुई नेमतों, वैचारिक पूंजी, आत्मीय व शारीरिक सामर्थ्य से अवगत होता है तथा अपनी योग्यताओं के बारे में भलीभांति जानता है उसे यह भी पता होता है कि इन क्षमताओं और इस पूंजी को अपने कल्याण के लिए कैसे प्रयोग करना है। जब इंसान इन सभी क्षमताओं को हासिल कर लेता है तो उसका लोक परलोक का जीवन सौभाग्यशाली हो जाता है। जबकि इसके विपरीत कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो स्वयं को नहीं पहचानता और अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास नहीं करता तो वह अंधकार के मार्ग पर चल पड़ता है। ईश्वर ने इंसान के शारीरिक अंग-अंग को जिस कार्य के लिए बनाया है उसको उसी कार्य में लगायें यही शरीर का अधिकार है।

वर्तमान काल में लोगों का धर्म से तनिक भी संबंध नहीं रहा, वह अपने ईश्वर को भूल चुके हैं। चार्ल्स डार्विन ने तो इंसान को मात्र बन्दर की ही संतान कहा था, मगर आज वह भेड़िये और चीते से भी अधिक खूनी और हिंसक बन चुका है। क्या कभी हमने एक क्षण के लिए भी इन भयानक परिस्थितियों पर विचार किया है कि इन पर कैसे रोक लगाई जाए ?

हमें एकजुट होकर उसे रोकना होगा, इन भयानक परिस्थितियों से निपटना होगा तभी सुख-शांति मिलेगी और मानवता जीवित रह पाएगी। हमें यह याद रखना होगा कि मानवता न अपने आप जन्म लेती है और न ही अपने आप मरा करती है। मानवता का तो एक स्त्रोत है जिससे वह जन्म लेती है और जब तक उस स्त्रोत से मानवता का संबंध बना रहता है वह फलती-फूलती रहती है। और जब उस स्त्रोत से उसका संबंध टूट जाता है तो मानवता भी दम तोड़ देती है। वह स्त्रोत क्या है ? धार्मिक विश्वास ही मानवता का स्त्रोत है।

धार्मिक विश्वास यह है कि एक ईश्वर है जो हमारा जन्मदाता है वह मानव जीवन के पथ प्रदर्शन हेतु प्रत्येक जाति एवं देश में अपना संदेष्टा भेजता रहा है। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर मानव सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। वह विश्वास यह है कि इस जीवन के पश्चात एक दूसरा जीवन भी है, जहां ईश्वर पूर्ण जीवन के क्रिया-करतूतों का हिसाब लेगा और कर्मों के आधार पर पुरस्कृत एवं दण्डित करेगा। यही विश्वास मानवता का आधार है। इसी विश्वास से ही मानवता पैदा हो सकती है। कर्मफल और परलोक पर विश्वास ही मनुष्य के अन्दर जिम्मेदारी और एहसास पैदा करता है और इसी एहसास के अनुसार जो जीवन होगा, वही मानवता का जीवन होगा। वह न्याय और अन्याय का ख्याल रखेगा, ईमानदारी एवं बेईमानी का ख्याल रखेगा, शांति और अशांति का ख्याल रखेगा तथा दंगा-फसाद फैलाते हुए डरेगा, और जुल्म एवं अत्याचार करने से बचेगा। आज के युग में धार्मिक अज्ञानता है। क्योंकि धर्म ही सिखाता है कि मानवता क्या है ? न्याय और अन्याय क्या है ?

जब तक मानव सत्य धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा और अपने ईश्वर के आदेशानुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करेगा तब तक मानवता जिंदा नहीं रह सकती।

इंसानियत की दुनिया तामीर करने वालो।
यह भी खबर है तुमको इंसान मर चुका है॥

इल्मो अदब के सारे खज़ाने गुज़र गए,
क्या खूब थे वो लोग पुराने गुज़र गए।

बाकी है ज़मीन पर फ़कत आदमी की भीड़,
इंसान को मरे हुए तो ज़माने गुज़र गए॥

आज दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा मनुष्य को मनुष्य से है, इतना खतरा तो किसी हैवान या खूंखार दरिंदे से भी नहीं है। क्योंकि आज के समय में इंसान अपने स्तर से इस

प्रकार गिर चुका है कि जिसके कारनामे देख कर शैतान भी अपना सर पीट ले।

जलती लाशों का यह जंगल है दरिंदे हैं यहाँ,
आदमी का दूर तक नामो निशाँ कोई नहीं।

ज़लज़ले भी ज़ालिमों को दे न पाये कुछ सबक,
क्या अहिंसा का पुजारी अब यहाँ कोई नहीं।

चीखता इंसाफ और दम तोड़ती इंसानियत,
शहर में गांधी के अब जाए अमाँ कोई नहीं।।

मेरे कहने का मतलब यह है कि धर्म ही मानवता की शिक्षा दे सकता है। संसार के प्रत्येक धर्म में दूसरी बातों को लेकर तो मतभेद हो सकता है, परन्तु मानवता के संबंध में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। प्रत्येक धर्म में इस बात का उपदेश मिलता है कि मानव को मानवता के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। मानवता समस्त वर्गों की पूंजी है।

अडोल्फ हिटलर का एक उदाहरण और आज की राजनीति :

एक दिन जर्मनी का तानाशाह अडोल्फ हिटलर एक मीटिंग में जिंदा मुर्गे के साथ पहुंचा। मीटिंग में मुर्गे को देख कर सभी चकित थे, मीटिंग में कुछ समय बीत जाने के बाद हिटलर ने मुर्गे के पंखों को एक-एक करके खींचना / तोड़ना शुरू कर दिया और इससे मुर्गे का रक्तस्राव शुरू हो गया, मुर्गे को बहुत पीड़ा होने लगी लेकिन हिटलर ने अनजान बनते हुए उसके सभी पंखों को नोच दिया और उसे नंगा कर जमीन पर छोड़ दिया। फिर कुछ अनाज के दाने अपनी जेब से निकाले और मुर्गे के आगे फेंक दिये, मुर्गा अपना दर्द भूल कर अनाज के दाने खाने में व्यस्त हो गया। मुर्गे ने अपना भोजन खत्म किया और तानाशाह के पैरों के पास बैठ गया, फिर उसने कुछ और अनाज के दाने फेंक दिये मुर्गे ने फिर दानों को खाया, अब तानाशाह उठकर चलने लगा तो मुर्गा भी उसके पीछे-पीछे चलने लगा। फिर हिटलर ने मीटिंग में उपस्थित सभी सदस्यों को बताया कि आम-जनता भी इस मुर्गे की तरह है, इन्हें असहाय और अति असहाय बनायें। जनता को जितना हो सके बेबस बनाएं और उन्हें लाचार हालत में छोड़ दें। जब यह लोग असहाय, बेबस और लाचार हो जायेंगे तो इनके आगे एक-एक टुकड़ा खाने के लिए डालते रहें तब वह जीवन भर के लिए आपके दास बन जाएंगे, आपके अत्याचारों को भूल जाएंगे और आप भी खुश रहेंगे।

भारत के राजनेता तो इस मामले में न केवल हिटलर के शिष्य हैं बल्कि यूं कहिये "गुरू गुड़ रह

गया चेला शक्कर हो गया” कहावत को चरितार्थ करते हुए हिटलर से काफी आगे हैं। क्योंकि हिटलर की जर्मनी में तो तानाशाही थी और तानाशाही में ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन भारत में तो प्रजातंत्र है, भारत के कई राजनेता तो प्रजातंत्र में भी जनता को बांट कर ऐसा ही कर रहे हैं। जनता के कपड़े उतार रहे हैं, उनकी खाल खींच रहे हैं और उनका रक्त चूस रहे हैं मगर जनता के आगे एक-एक टुकड़ा खाने के लिए डाल देते हैं, जनता उन राजनेताओं की दास बन जाती है, और उनके पीछे जिंदाबाद- जिंदाबाद के नारे लगाती हुई नजर आती है। जनता के वोटों से ही इनकी सरकारें बनती हैं और यह जनता को ही मूर्ख बनाते हैं, राजनेता धर्म के नाम पर आग लगा कर चले जाते हैं और जनता आपस में लड़ती रहती है, आखिर नुकसान किसका होता है ? जनता का या राजनेताओं का, दुकान-मकान किसके जलते हैं ? जनता के या राजनेताओं के, जिस दिन से दंगों में राजनेताओं का नुकसान होने लगा न, तो उस दिन से देश में दंगे ही बंद हो जाएंगे। कोई इस भूल में भी न रहे कि नुकसान केवल गैरों का होता है, बल्कि नुकसान तो अपनों का भी होता है। क्योंकि

लगेगी आग तो आयेंगे घर कई ज़द में।
यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।।

मैं पूंछना चाहता हूँ सत्ता में बैठे हुये कुछ राजनेताओं से कि ...

>क्या राजनीति का मतलब केवल लूट, भ्रष्टाचार, दमन और अत्याचार है ?
>क्या राजनीति का मतलब केवल सत्ता की मलाई चाटना भर रह गया है ?
>क्या राजनीति का मतलब केवल पैसे और ताकत के बलबूते पर जनमानस को दबाना है ?
>क्या राजनीति का मतलब केवल संसद में वोटों की खरीद-फरोख्त कर कुर्सी बचाना है ?
>क्या राजनीति का मतलब केवल अवैध तरीके से धन, सम्पत्ति की अनुचित लूट है ?

आज राजनीति केवल कुछ अमीरों की दास बन चुकी है। हद से ज्यादा गंदी हो चुकी है यह राजनीति, जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है या तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है या उसी को ही मिटा दिया जाता है। और जो बदलाव लाने का प्रयास करता है या तो उसकी नौकरी खतरे में होती है या उसपर कोई आरोप लगा कर कोर्ट के झमेले में फंसा दिया जाता है। याद रहे सरकार अत्याचार के साथ सदैव नहीं चलती “जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं - नाव कागज़ की सदा चलती नहीं” आखिर क्यों अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते ? क्या इस देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इस देश का शासन ऐसे नापाक हाथों में

न जाने दें जो उसकी अस्मिता, गौरव, वैभव और शान को नुकसान पहंचाने वाले हैं ? क्या अच्छाई पर बुराई को राज करने दिया जाए ? क्या करोड़ों लोगों को अब भी भूका ही सोने दें ? क्या लाचार बच्चियों और महिलाओं को यूँ ही हवस का शिकार होने दें ? क्या बे-सहारा लोगों को ऐसे ही तड़प-तड़प कर मरने दें ? क्या लाखों मरीजों को यूँ ही मौत के मुंह में जाने दें ? क्या ऐसे ही बिना सहूलत के लोगों को बस जानवरों की तरह जीने दें ?

आखिर कब तक वर्ष में एक बार दशहरा के दिन "बुरे पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की" जीत के इतिहास को याद करके खुश होते रहेंगे या कभी ऐसा भी होगा कि वो लोग खुद भी एक इतिहास बनाएंगे।

आइये हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करें कि सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, प्रेम, शांति, साहिष्णुता, सद्भाव, उदारता, बर्दाश्त, मान-सम्मान का संकोच, दयालुता, कृपालुता, उपकारता, सहायता, परोपकार, कृतज्ञता के मार्ग पर चलेंगे और मानवता की सीमा में रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आतंकवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, अत्याचार, अन्याय, असत्य, अधर्म, असमानता, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, अश्लीलता, नग्नता, रिश्वत खोरी, जुआ आदि प्रत्येक बुराई को समाज से एकजुट होकर मिटाने का प्रयास करेंगे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, दलित आदिवासी सभी के बीच भाई-चारा पैदा करेंगे, ताकि हमारा देश शांति और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सके।

उनका जो फर्ज़ था, वह अहले सियासत जानें।
मेरा पैग़ाम मुहब्बत है, जहाँ तक पहुंचे ।।

अंतिम कथन के साथ

"**जियो और जीने दो**"

-: समाप्त :-

दिनाँक

(20-मई, सन्-2019)